[2020] 11 एस. सी. आर 896

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी

वी.

महाराष्ट्र और ओआरएस का राज्य।

2020 की आपराधिक अपील संख्या 742

27 नवंबर, 2020

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

भारत का संविधान-कला। 226 और 227-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 482 और एस। 439 - दंड संहिता, 1860s। 306 और एस. 34 - अपीलार्थी को यू/एस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में 04.11.2020 पर गिरफ्तार किया गया था। 306 और एस। 34 आई. पी. सी.-यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने अपने द्वारा किए गए काम के लिए मृतक को देय राशि का भुगतान नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप वह मानसिक दबाव में था और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली-सुसाइड नोट में तीन व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें शामिल थे -

अपीलार्थी-अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के यू/आर्ट्स के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया। 226/227 संविधान और एस। 482 याचिका के निपटारे तक अन्य राहतों के साथ एफ. आई. आर. को रद्द करने की मांग करते हुए, अपीलार्थी ने एक आवेदन दायर किया और न्यायिक हिरासत से उसकी रिहाई की मांग की उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि

अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में था, यह उसके लिए जमानत यू/एस के उपाय का लाभ उठाने के लिए खुला था। 439 उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के इस कथन पर विचार करने से इनकार कर दिया कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप, जैसा कि वे खड़े हैं, यू/एस के तहत किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं। 306 आई. पी. सी.-अपीलार्थी ने जमानत देने के लिए अपने अंतरिम अनुरोध को अस्वीकार करने से व्यथित होकर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की-11.11.2020 पर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, आदेश दिया और उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक जमानत पर अपीलार्थी सहित सभी तीन व्यक्तियों को रिहा करने का निर्देश दिया-आयोजितः मृतक के जीवनसाथी के अनुसार, उसके पति पिछले दो वर्षों से दबाव में था क्योंकि उसे उसके द्वारा किए गए काम का पैसा नहीं मिला था '-मृतक ने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें कहा गया था कि उसका "पैसा अटक गया है और संबंधित कंपनियों के मालिक हमारे वैध बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं"-सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार की सुसंगत रेखा यह बताती है कि मामले को अदालत के दायरे में लाने के लिए।

एस की परिधि। 306 आई. पी. सी. में आत्महत्या का मामला होना चाहिए और कथित अपराध करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या करने के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य द्वारा या आत्महत्या करने में सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी-इसलिए, उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा उकसाने का कार्य अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए-तत्काल मामले में, प्रथम दृष्टया, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण के आवेदन पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता एस के अर्थ के भीतर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी था। 306 आई. पी. सी.-उच्च न्यायालय ने एफ. आई. आर. की सामग्री पर ध्यान देने में विफल रहने और प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर याचिकाओं को जब्त करने पर अपनी भूमिका, कार्यों और अधिकार क्षेत्र का त्याग कर दिया। 482 Cr.P.C का। अपने कार्य को u/s करने में विफलता के परिणामस्वरूप। 482 Cr.P.C., उच्च न्यायालय ने विचार करते समय जमानत के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के लिए यू/Art.226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से खुद को अक्षम कर दिया।

आवेदन यू/कला। 226 , उच्च न्यायालय को प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए-हालाँकि, उच्च न्यायालय को उस शक्ति के प्रयोग से खुद को पूर्ववत नहीं करना चाहिए जब कोई नागरिक राज्य की शक्ति से अधिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित हो गया हो-इसलिए, 11.11.2020 पर अभियुक्त को दिया गया अंतरिम संरक्षण उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक जारी रहता है।

भारत का संविधान-Art.226-अंतरिम जमानत देने की शक्ति-अपीलार्थी को यू/एस में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। 306 और एस। 34 आई. पी. सी. का-अपीलार्थी ने संविधान के यू/Art.226/227 के तहत याचिका दायर की और यू / एफ. आई. आर. रद्द करने के लिए Cr.P.C का <आई. डी. 2. और गिरफ्तारी ज्ञापन-इसके बाद, अपीलकर्ता ने अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया-उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका में अंतरिम स्तर पर मूल्यांकन करने से इनकार कर दिया कि क्या एक तर्कपूर्ण मामला बनाया गया है-उच्च न्यायालय ने आगे अपीलकर्ता की अंतरिम जमानत के लिए प्रार्थना की अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसे उपचार के लिए भेज दिया। Cr.P.C का <ID2.-पीड़ित, अपीलार्थी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की।

जमानत देने के संबंध में सम्मान की आवश्यकता है-आयोजितः द. उत्तरदाताओं का यह कहना सही है कि जमानत देने से संबंधित मामलों में अदालतों के प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान करने की आवश्यकता है, हालांकि, उच्च न्यायालय दो स्तरों पर अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करने में विफल रहा-पहला [2020] 11 एस. सी. आर. का मूल्यांकन करने से इनकार करना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रथम दृष्टया अंतरिम स्तर पर प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका में कि क्या एक तर्क योग्य मामला बनाया गया है, और दूसरा, अंतरिम जमानत को अस्वीकार करने में, पहले पर प्रथम दृष्टया राय देने में विफलता के परिणामस्वरूप-उच्च न्यायालय के पास कला का आह्वान करने वाली याचिका में एक अंतरिम आदेश द्वारा नागरिक की रक्षा करने की शक्ति थी। 226 - जहाँ उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका और कार्यों को त्याग देगा यदि वह इस तरह के हस्तक्षेप के मानदंडों को पूरा करने के बावजूद हस्तक्षेप करने से इनकार कर देता है।

शब्द और वाक्यांश-"मानव स्वतंत्रता और न्यायालयों की भूमिका" पर चर्चा की गई।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि सूचना देने वाले के जीवनसाथी की एक कंपनी थी जो वास्तुकला, इंटीरियर का व्यवसाय करती थी।

डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श। मुखबिर के अनुसार, उसके पति पिछले दो वर्षों से दबाव में थे

अपीलार्थी और पैसे के भुगतान के लिए अपने लेखाकार से बात की। उपरोक्त बयानों के अलावा, यह कहा गया है कि मृतक एक सुसाइड नोट छोड़ गया है जिसमें कहा गया है कि उसका "पैसा है

संबंधित कंपनियों के फंसे और पीछे रहने वाले मालिक हमारे वैध बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया, परीक्षण के आवेदन पर जो इस न्यायालय द्वारा एक सुसंगत अधिकार रेखा में निर्धारित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी आई. पी. सी. की धारा 305 के अर्थ के भीतर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी था। ये टिप्पणियां प्रथम दृष्टया इस स्तर पर हैं क्योंकि उच्च न्यायालय को अभी भी याचिका को रद्द करने के लिए सुनवाई करनी है। हालांकि, स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी की सामग्री पर ध्यान देने में विफल रहने और प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को जब्त करने पर अपनी भूमिका, कार्यों और अधिकार क्षेत्र का त्याग कर दिया। उच्च न्यायालय ने कानूनी स्थिति का पाठ किया कि धारा 482 के तहत रद्द करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए

संयम से। हालाँकि, ये शब्द अर्थहीन मंत्र नहीं हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष एफ. आई. आर. की सामग्री के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करता है, तो उसके पास अर्णब मनमोहन गोस्वामी बनाम होगा।

धारा 482 के तहत हालांकि अंतरिम चरण में। [पैरा 55] [939-एफ-एच; 940-ए-डी] 2. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई थी। एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत याचिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या प्रथम दृष्टया

एफ. आई. आर. में अपराध के तत्वों को शामिल किया गया है। यदि उच्च न्यायालय ने इस कवायद को अंजाम दिया होता, तो यह स्पष्ट होता कि अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हुए हैं। धारा 482 के तहत अपने कार्य को करने में विफलता के परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से खुद को अक्षम कर दिया है।

जमानत के लिए अपीलार्थी का आवेदन। अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए।

प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना।

हालाँकि, उच्च न्यायालय को उस शक्ति के प्रयोग से खुद को रोक नहीं लेना चाहिए जब किसी नागरिक को राज्य की शक्ति से अधिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित कर दिया गया हो। [पैरा 56]

[940 - डी-जी]

3. एक उपयुक्त मामले में अनुच्छेद 226 के तहत जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए - तय किए गए कारक जो इस न्यायालय के उदाहरणों से उभरते हैं।

इन कारकों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः ((i) कथित अपराध की प्रकृति, आरोप की प्रकृति और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता; (ii) क्या अभियुक्त द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने या शिकायतकर्ता या गवाहों के लिए खतरा होने की उचित आशंका है; (iii) मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की संभावना या अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना; (iv) पूर्ववृत्त और परिस्थितियाँ जो दोषसिद्धि के लिए विशिष्ट हैं।

अभियुक्त; (v) [2020] 11 एस. सी. आर. में लगाए गए आरोपों के आधार पर, क्या प्रथम दृष्टया अपराध के तत्व बनाए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. ये सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं और निम्नलिखित (अन्य) निर्णयों से उत्पन्न हुए हैंः प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एन. सी. टी., दिल्ली; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी; संजय चंद्र बनाम सी. बी. आई.; पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो। [पैरा 58] [941-डी] 5. ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए समान रूप से लागू होते हैं जब अदालत को अभियुक्त की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कहा जाता है। उच्च न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सावधानी और सावधानी के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए कि यह क्षेत्राधिकार इसके लिए एक तैयार विकल्प नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के उपाय का सहारा लेना। में।

इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, मामले में एफ. आई. आर. की सामग्री की जांच करना आवश्यक हो गया है। मामलों के इस समूह में, एफ. आई. आर. का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के तत्वों को स्थापित नहीं करता है। अपीलार्थी भारत के निवासी हैं और जाँच या परीक्षण के दौरान उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई आशंका नहीं है या गवाह। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, 11 नवंबर 2020 के आदेश में अपीलार्थियों को रिहा करने की परिकल्पना की गई थी।

जमानत। [पैरा 59] [941-ई-जी; 942-ए]

6. मानव स्वतंत्रता एक बहुमूल्य संवैधानिक मूल्य है, जो निस्संदेह वैध रूप से अधिनियमित विधान द्वारा विनियमन के अधीन है।

इस प्रकार, नागरिक आपराधिक कानून और प्रक्रिया के आदेशों के अधीन है। धारा 482 ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। इस न्यायालय के निर्णयों के लिए उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 482 के तहत उन्हें सौंपी गई अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सावधानीपूर्वक कार्य करें। इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय को इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए

संयम की भावना के साथ, इस न्यायालय के निर्णय इस मूल सिद्धांत पर आधारित हैं कि आपराधिक कानून का उचित प्रवर्तन अर्नब मनमोहन गोस्वामी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य

अभियुक्त द्वारा सहारा लेने में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए

शिल्प और रणनीतियाँ। अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने में जनहित की रक्षा यह सुनिश्चित करके की जाती है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का सावधानी के साथ प्रयोग किया जाए। वास्तव में ऐसा है स्पेक्ट्रम का एक-और एक महत्वपूर्ण-अंत। स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय में विरासत में मिली शक्ति की धारा 482 द्वारा मान्यता स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है। 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता

दूसरी ओर, आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक ऐसा मामला है जिसके बारे में इस देश में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों को जीवित रहना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय उस विशिष्ट आधार का संज्ञान नहीं ले सकता था जो उसके समक्ष उच्च न्यायालय द्वारा उठाया गया था। अपीलार्थी ने कहा कि अप्रैल 2020 से हो रही घटनाओं की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में उसे निशाना बनाया जा रहा था। अपीलार्थी का विशिष्ट मामला यह है कि उसे निशाना बनाया गया है क्योंकि उसके टेलीविजन चैनल पर उसकी राय प्राधिकरण के लिए अप्रिय है। क्या अपीलार्थी ने एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए कोई मामला स्थापित किया है, यह कुछ ऐसा है जिस पर उच्च न्यायालय अपने समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध होने पर अंतिम विचार करेगा, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि एफ. आई. आर. का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर, उच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का त्याग कर दिया और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य किया। न्यायालयों को आवश्यकता के प्रति जागरूक होना चाहिए

यह सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित की रक्षा करना कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न आए। अपराध की निष्पक्ष जांच इसके लिए सहायक है। समान रूप से यह सभी न्यायालयों का कर्तव्य है -

जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय-यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपराधिक कानून नागरिकों के चुनिंदा उत्पीड़न के लिए एक हथियार न बन जाए। अदालतों को दोनों के लिए जीवित होना चाहिए [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्पीड़न। मानव युगों में स्वतंत्रता उतनी ही कमजोर है जितनी कि कमजोर हो सकती है। स्वतंत्रता अपने नागरिकों की सतर्कता, मीडिया के शोरगुल और अदालतों के धूल भरे गलियारों में कानून के शासन (और न कि) के लिए जीवित रहती है। फिर भी, बहुत बार, स्वतंत्रता एक दुर्घटना होती है जब इनमें से किसी एक घटक की कमी पाई जाती है। [पैरा 60] [942-बी-एच; 943-ए-डी] 7. प्रतिवादियों का निस्संदेह यह कहना सही है कि जमानत देने से संबंधित मामलों में अदालतों के प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान करने की आवश्यकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय दो मामलों में अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करने में विफल रहा।

स्तर-पहला, प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका में अंतरिम चरण में प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने से इनकार करना कि क्या एक तर्कपूर्ण मामला बनाया गया है, और दूसरा, अंतरिम जमानत को अस्वीकार करने में, प्रथम दृष्टया राय देने में विफलता के परिणामस्वरूप। उच्च न्यायालय के पास नागरिकों की रक्षा करने की शक्ति थी

अनुच्छेद 226 को लागू करने वाली याचिका में एक अंतरिम आदेश द्वारा। जहां उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है, यह न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका और कार्यों को त्याग देगा यदि वह इस तरह के हस्तक्षेप के मानदंडों को पूरा करने के बावजूद हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। दरवाज़ों

इस न्यायालय को किसी ऐसे नागरिक के लिए बंद नहीं किया जा सकता है जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने में सक्षम हो कि राज्य की साधनता को आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए हथियार बनाया जा रहा है। हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रहना एक दिन बहुत अधिक है। [पैरा 61] [943-ई-एच]

अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2010) 1 एससीसी 707: [2009] 15 एस. सी. आर. 836; एस. एस. चीना बनाम विजय कुमार महाजन (2010) 12 एस. सी. सी. 190: [2010] 9 एससीआर 1111; मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य (2010) 8 एससीसी

629 [2010] 10 एस. सी. आर. 351; एम. अर्जुनन बनाम राज्य

(पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) (2019) 3 एस. सी. सी. 315 ; उदे सिंह और ओआरएस। बनाम हरियाणा राज्य (2019) 9 एससीआर 703; राजेश बनाम हरियाणा राज्य (2020) 15

एस. सी. सी. 359; गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020)

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य

10 एस. सी. सी. 200; नारायण मल्हारी थोराट बनाम विनायक देवराव भगत (2019) 13 एस. सी. सी. 598: [2018] 14 एससीआर 232; रोमिला थापर बनाम भारत संघ (2018) 10 एससीसी 753: [2018] 11 एस. सी. आर. 951-पर निर्भर।

तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी (2017) 2 एससीसी 779: [2017] 1 एस. सी. आर. 141; प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य और अन्य। (2012) 9 एससीसी 734: [2012] 8 एस. सी. आर. 1129; विनुभाई हरिभाई मालवीय बनाम राज्य

गुजरात 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1346; मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य (2010) 8 एससीसी 628: [2010] 10 एस. सी. आर. 351; सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2015) 4 एस. सी. सी. 609: [2015] 1 एस. सी. आर. 377; कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018) 5 एस. सी. सी. 1: [2018] 6 एस. सी. आर. 1; विनीत नारायण और अन्य। बनाम भारत संघ और ओआरएस। (1998) 1 एससीसी 226: [1997] 6 पूरक। एससीआर 595; हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। (2014) 4 एससीसी 453: [2014] 1 एस. सी. आर. 465; हरियाणा राज्य बनाम भजन

लाल 1992 पूरक। 1 एससीसी 335: [1990] 3 पूरक। एस. सी. आर. 259; कमल शिवाजी पोकर्णेकर बनाम राज्य महाराष्ट्र (2019) 14 एस. सी. सी. 350; पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जैसवाल (1994) 1 एस. सी. सी.: [1993] 2 पूरक। एससीआर 461; रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य (2004) 13 एससीसी 129: [2004] 5 पूरक। एससीआर 351; किशोरी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2007) 10 एससीसी 797 [2007] 7

एस. सी. आर. 1051; किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम राज्य

गुजरात (2009) 4 एससीसी 52: [2009] 1 एस. सी. आर. 672; वैजनाथ कोंडीबा खंडके बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2018) 7 एससीसी 781; प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम एनसीटी, दिल्ली (2001) 4 एससीसी 280: [2001] 2 एससीआर 684; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह (2002) 3 एससीसी 598:

[2002] 2 एस. सी. आर. 526; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी (2005) 8 एस. सी. सी. 21: [2005] 3 पूरक। एससीआर 454; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी (2010) 14 एससीसी

496 : [2010] 12 एस. सी. आर. 1165; संजय चंद्र बनाम सी. बी. आई. (2012) 1 एससीसी 40: [2011] 13 एस. सी. आर. 309; पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो (2020) 13 एस. सी. सी. 337; राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद (1977) 4 एस. सी. सी. 308: [1978] 1 एस. सी. आर. 535-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2017] 1 एससीआर 141

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2012] 8 एससीआर 1129

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2010] 10 एससीआर 351

उस पर भरोसा करें

पैराः

[2015] 1 एससीआर 377

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2018] 6 एससीआर 1

पैराः

संदर्भित किया गया है

[1997] 6 पूरक। एससीआर 595

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2014] 1 एससीआर 465

पैरा

संदर्भित किया गया है

[1990] 3 पूरक। एससीआर 259

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2019) 14 एससीसी 350

उस पर भरोसा करें

पैरा

[1993] 2 पूरक। एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पैरा -

[2004] 5 पूरक। एससीआर 351

संदर्भित किया गया है

पैरा 4

[2007] 7 एससीआर 1051

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 1 एससीआर 672

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 15 एससीआर 836

उस पर भरोसा करें

पैरा ·

[2010] 9 एससीआर 1111

उस पर भरोसा करें

पैरा

[2010] 10 एससीआर 351

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2019) 3 एस. सी. सी. 325

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2019] 9 एससीआर 703

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

(2020) 15 एस. सी. सी. 359

उस पर भरोसा करें

पैरा

(2020) 10 एससीसी 200

उस पर भरोसा करें

पैराः

(2018) 7 एस. सी. सी. 781

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2018] 14 एससीआर 232

उस पर भरोसा करें

पैरा 5

[2001] 2 एससीआर 684

संदर्भित किया गया है

पैराः

[2002] 2 एससीआर 526

संदर्भित किया गया है

पारा!

[2005] 3 पूरक। एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[2010] 12 एससीआर 1165

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2011] 13 एससीआर 309

संदर्भित किया गया है

पैराः

(2020) 13 एस. सी. सी. 337

संदर्भित किया गया है

पैराः

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

[2018] 11 एससीआर 951

उस पर भरोसा करें

पैरा 62

[1978] 1 एससीआर 535

संदर्भित किया गया है

पैरा 63

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 742

2020 .

उच्च न्यायालय के 09.11.2020 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक रिट याचिका (सं.) में 2020 के अंतरिम आवेदन 4278 में बॉम्बे का 2020 का सं. 4132।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 743 & 744 2020 से।
हरीश साल्वे, सिद्धार्थ भटनागर, आबाद पोंडा, गोपाल

शंकरनारायणन, मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, अमित देसाई, देवदत्त कामत, सी. यू. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री मालविका त्रिवेदी, साकेत शुक्ला, वसंत राजसेकरन, मृणाल ओझा, देबरशी दत्ता, रजत प्रधान, विश्वदीप

चक्रवर्ती, सुश्री माधवी दोशी, संजीव सांबशिवन, सिद्धांत कुमार, सुश्री कजरी रॉय, सुश्री चेतना एन. राय, सुश्री शीना आयपे, निर्निमेश दुबे, सुश्री राशी बंसल, सुश्री ईशा भदौरिया, समीर सिंह, विजय अग्रवाल, महेश अग्रवाल, गौरव केजरीवाल, ईश्वर नानकनी, आदित्य कनोडिया, समीर अली खान, मुदित जैन, राहुल अग्रवाल, निशांत राव, अंकित कोहली, राहुल चिटनिस, सचिन पाटिल, दीपक ठाकरे, हेमंत शाह, जियो जोसेफ, एफ. आई. चौधरी, नूर उल इस्लाम, वैभव कार्णिक, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.
इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए अनुभागों में विभाजित किया गया है।

वे इस प्रकार हैं:

याचिका

ए.

पक्षकार, एफ. आई. आर. और ए 'सारांश

बी.

अपीलार्थी के खिलाफ पिछली कार्यवाही

सी.

...

जाँच फिर से शुरू करना और अपीलार्थी की गिरफ्तारी

ई.

वकील की प्रस्तुतियाँ

2020 की आपराधिक अपील संख्या 743 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उद्भूत)

एफ.

2020 का सं. 5599)

2020 की आपराधिक अपील संख्या 744 (एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) से उद्भूत)

जी.

2020 का सं. 5600)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अनुच्छेद 226 और धारा के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता

एच.

482 सीआरपीसी

आई.

एफ. आई. आर. का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन और जमानत की मंजूरी

मानव स्वतंत्रता और न्यायालयों की भूमिका।

जे.

निष्कर्ष

के.

A. अपील

1. न्यायपालिका के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी") के अनुच्छेद 482 के तहत, याचिकाकर्ता ने तीन ठोस राहतों की मांग कीः

((i)

हैबियस कॉर्पस का एक रिट, जिसमें दावा किया गया था कि वह अवैध रूप से था प्रथम सूचना रिपोर्ट 1 ("एफ. आई. आर".) के संबंध में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर ("एस. एच. ओ".) द्वारा गिरफ्तार किया गया और गलत तरीके से हिरासत में लिया गया।

5 मई 2018 को धारा 376 और 34 के तहत पंजीकृत भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) एक पूर्व समापन रिपोर्ट के बावजूद जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार कर लिया गया था;

((ii) उपर्युक्त एफ. आई. आर. को रद्द करना; और (iii) गिरफ्तारी ज्ञापन को रद्द करना जिसके आधार पर

याचिकाकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था।

ये तीन रिलीफ 2 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रार्थना (ए), (बी) और (सी) में परिलक्षित होते हैं।

भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 306 और 34 के तहत अलीबाग पुलिस स्टेशन, रायगढ़ में दर्ज 2018 की सी. आर. संख्या 0059 दिनांक 5 मई 2018 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए आदेश और/या इसी तरह की कोई अन्य रिट, आदेश और निर्देश जारी करें। गिरफ्तारी ज्ञापन, यदि कोई हो, जिसके आधार पर प्रत्यर्थियों ने याचिकाकर्ता को गलत तरीके से और अवैध रूप से गिरफ्तार किया है, को रद्द करते हुए और/या अलग करते हुए, प्रमाण पत्र और/या इसी तरह के किसी अन्य रिट, आदेश और निर्देश का एक रिट जारी करें; अर्णब मनमोहन गोस्वामी v.

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

2. याचिका के निपटारे तक, कार्यवाही 3 में एक अंतरिम आवेदन द्वारा, अपीलार्थी ने उसे हिरासत से रिहा करने की मांग की और एफ. आई. आर. के अनुसरण में जाँच सहित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक।

3. उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने 9 नवंबर 2020 के अपने आदेश में कहा कि जिस प्रार्थना (ए) के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट मांगी गई थी, उस पर जोर नहीं दिया गया था। उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए याचिका की सुनवाई 10 दिसंबर 2020 को स्थगित कर दी। इसने जमानत देने की प्रार्थना को स्वीकार करने से इनकार कर दिया,

तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जीलानिया ("हबीब जीलानी") में इस अदालत के फैसले पर भरोसा। उच्च न्यायालय का विचार था कि अंतरिम राहत के लिए अनुरोध इस आधार पर आगे बढ़े कि अपीलार्थी को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था और चूंकि वह न्यायिक हिरासत में था, इसलिए वह अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जमानत या जांच पर रोक लगाने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा। उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि अपीलार्थी न्यायिक हिरासत में था, इसलिए उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत का लाभ उठाने का विकल्प खुला है। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपीलार्थी के इस कथन पर विचार करने से इनकार कर दिया कि एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप आई. पी. सी. की धारा306 के तहत अपराध किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं। इस तरह यह मामला इस अदालत में आया है। अपीलार्थी अपनी अंतरिम प्रार्थना के अस्वीकार होने से व्यथित है।

जमानत देने के लिए।

B. पक्षकार, एफ. आई. आर. और 'ए' सारांश

4. अपीलकर्ता एक अंग्रेजी टेलीविजन समाचार चैनल, रिपब्लिक टीवी का प्रधान संपादक है। वह ए. आर. जी. आउटलायर के प्रबंध निदेशक भी हैं।

मीडिया एशियानेट न्यूज प्राइवेट लिमिटेड आर भारत के नाम से एक हिंदी टेलीविजन समाचार चैनल का स्वामित्व और संचालन करती है। अपीलार्थी एंकर दोनों चैनलों पर दिखाई देते हैं।

5. अपीलार्थी को इस संबंध में 4 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था।

3 (क) शीर्षांकित रिट याचिका की अंतिम सुनवाई और निपटान तक, यह माननीय न्यायालय 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 59 में याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए प्रसन्न है और न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, याचिकाकर्ता को अवैध निरोध और गलत हिरासत और/या प्रत्यर्थियों द्वारा गिरफ्तारी से तुरंत रिहा करने का निर्देश देता है।

(ख)

अंतिम सुनवाई और शीर्षक वाली रिट याचिका के निपटारे तक, यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के संबंध में 2018 की एफ. आई. आर. संख्या 59 में जांच सहित आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2018 की एफ. आई. आर. 59 के साथ जो आई. पी. सी. की धारा 376 और 34 के तहत अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी।

6. एफ. आई. आर. की उत्पत्ति का पता दिसंबर 2016 में लगाया जा सकता है।

जब ए. आर. जी. आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी

" ए. आर. जी. ") को सिविल और आंतरिक कार्य के लिए एक दूसरे को अनुबंध दिया गया।

कंपनी, कॉनकॉर्ड डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड ("सी. डी. पी. एल".) जिसका स्वामित्व था

अन्वय नाइक ("मृतक") द्वारा स्पष्ट रूप से।

7. मृतक की पत्नी अक्षयता अन्वय नाइक ("मुखबिर") की शिकायत पर 5 मई 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसने कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। एफ़. आई. आर. की सामग्री पढ़ी गई

हंसः

" 12. प्रथम सूचना सामग्रीः

तथ्यः आई श्रीमती। अक्षता अन्वय नाइक आयु 48 वर्ष, व्यवसाय

इंटीरियर डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग परामर्श। मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक का पैतृक स्थान गाँव कविर, ताई में है। अलीबाग और उक्त स्थान पर मेरी सास कुमुद मधुखर नाइक रह रहा है। इसलिए मेरे पति बीच-बीच में गाँव कविर ताई में मेरी सास से मिलने जाते थे। अलीबाग। साथ ही मेरे पति मेरी सास कुमुद नाइक को मुंबई में हमारे साथ बीच-बीच में लाते थे। पिछले दो साल से मेरे पति दबाव में थे।

उन्हें उनके द्वारा किए गए काम का पैसा नहीं मिला और वे लगातार मुझे सूचित करते थे और इसलिए मैंने अमव गोसमनी के कार्यालय में भी फोन किया और उनके लेखाकार से भुगतान करने के लिए कहा। हमारे द्वारा किए गए काम का पैसा। जैसा
कि अन्य व्यवसायियों से भी संपर्क किया गया और बताया गया कि मेरे पति बहुत मुश्किल में हैं और पैसे नहीं मिलने के कारण वह बहुत मानसिक दबाव में हैं। कल आई. डी. 1 पर दोपहर 3.45 बजे मेरे पति अन्वय

मधुखर नाइक और मेरी सास कुमुद मधुखर नाइक मुंबई में हमारे घर से निकले और अलीबाग कविर आए। शाम को 7:30 बजे मैंने अपनी सास के मोबाइल नंबर 9763437648 पर कॉल किया और जब उनसे पूछा गया कि क्या वे हमारे फार्म अर्णब मनमोहन गोस्वामी बनाम पर पहुंच गए हैं।

राज्य HARASTRA [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मुंबई के दादर हिंदू कॉलोनी में रहने वाली मेरी बेटी अदन्या ने अपने मोबाइल पर फोन किया कि मेरी सास कुमुद नाइक की मृत्यु हो गई है। इसलिए मैं और मेरी बेटी अदन्या बहन श्रीमती मंजुषा दुर्गेश वैनगन्कर और उनकी बेटी श्रेया वैनगन्कर अपने वाहन से अलीबाग आने लगे। जब हम वडखल पहुँचे तो मैंने अपने पति श्री अक्षित लखानी के दोस्त के मोबाइल पर कॉल किया।

और मेरे पति के बारे में पूछा जब उन्होंने बताया कि मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक ने भी आत्महत्या कर ली है। जब हम

दोपहर करीब 2.15 बजे कविर स्थित हमारे फार्म हाउस में जनता की भारी भीड़ जमा हो गई और पुलिस जमा हो गई। इसलिए जब हम अंदर गए और देखा कि मेरी सास कुमुद नाइक भोजन कक्ष के पास बिस्तर पर लेटी हुई थीं। इसके बाद सीढ़ियों के डिब्बे से जब हम ऊपरी मंजिल पर गए तो देखा कि मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक लेटे हुए थे और एक धागा घर के लोहे के पाइप पर लटका हुआ था। इसके बाद पुलिस ने हमसे पूछताछ की और हमें उक्त घटना के बारे में सूचित किया। इसके बाद केवल यह बताया गया कि वे मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक और सास को ले जा रहे हैं

कुमुद मधुखर नाइक को सिविल अस्पताल अलीबाग ले जाया गया। जब हम थे

उक्त घर में मौजूद पुलिस ने हमें मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक द्वारा अंग्रेजी में अपनी लिखावट (सुसाइड नोट) में लिखा हुआ नोट दिखाया। उक्त नोट में लिखावट उनकी है और उस पर हस्ताक्षर भी केवल उनकी है और 1 उसी की पहचान करता है। उक्त नोट में उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है कि 3) सुसाइड नोट, 4) हम निम्नलिखित के कारण आत्महत्या कर रहे हैं 5) हमारे (कॉनकॉर्ड डिज़ाइन्स प्राइवेट लिमिटेड) 6) हम दोनों निदेशक I) श्री अन्वय एम. नाइक 2) कुमुद एम. नाइक, 7) पैसा अटक गया है और सम्मानित कंपनियों के मालिक हमारे वैध बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं 8) श्री अमाब रिपब्लिक टीवी के गोस्वामी ए. आर. जी. आउटलायर, बॉम्बे डाइंग स्टूडियो परियोजना के लिए 83 लाख का भुगतान नहीं किया, 9) फिरोज शेख इकस्वत एक्स/स्किमीडिया ने लक्ष्मी में हमारे 400 लाख का भुगतान नहीं किया, अंधेरी में तीसरी और चौथी मंजिल के विचार स्क्वायर परियोजना 10) श्री नितेश सारदा स्मार्ट वर्क्स मगरपट्टा और बानर परियोजना के मालिक (55 लाख लंबित) 11) कृपया उनसे पैसे एकत्र करें और उन्हें हमारी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया और लेनदारों को भुगतान करें 12) मैं और मेरी माँ कॉनकॉर्ड में निदेशक हैं [2020] 11 एस. सी. आर.

इंडिया कंपनी और उसके बाद आने वाले लोगों ने अब तक मुझे मेरे द्वारा किए गए काम का पैसा नहीं दिया है। जिसमें लिखा है कि रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ए. आर. वी. आउटलाइफ ने 1 लाख से अधिक काम किया है, 2) फिरोज खान ने 4 करोड़ से अधिक काम किया है, 3) नितेश सारदा ने 55 लाख से अधिक काम किया है और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

मेरी मृत्यु के लिए और उसे जमा कराने और जनता के बकाया का भुगतान करने के लिए। उक्त नोट में लिखी गई सामग्री के संबंध में मेरा

पति अन्वय मधुखर नाइक ने मुझे लगातार सूचित किया था।

पिछले एक या दो वर्षों से। जबकि वह मुझे बताता था कि वह नीचे था

भारी दबाव। इसलिए मुझे कानूनी शिकायत है।

खिलाफ। अर्णब गोस्वामी, 2. फिरोज खान, 3. नीलेश सारदा वे व्यक्ति जिनके नाम मेरे पति अन्वय मधुखर नाइक द्वारा उक्त सुसाइड नोट में लिखे गए थे कि उपरोक्त राशि उनके बकाया थी और लगातार उक्त राशि की मांग करने के बाद भी उन्होंने उक्त राशि का भुगतान नहीं किया है और इसलिए मेरे पति बहुत दबाव में थे इसलिए मेरे पति अन्वय नाइक की आयु 53 वर्ष है।

ऐसी सामग्री की जानकारी दर्ज की गई थी और पी. आई. श्री वाराडे उक्त अपराध की जांच कर रहे हैं। एफ. आई. आर. इस प्रकार दर्ज करती हैः

((i)

अपीलार्थी (जो ए. आर. जी. कंपनी का मालिक है) ने भुगतान नहीं किया था।

रु. की राशि। 83 बॉम्बे डाइंग स्टूडियो परियोजना के लिए लाख। इसके अलावा, रुपये की बकाया राशि थी। 4 फिरोज शेख से करोड़ और रु। 55 नीतेश से लाख

सारदा (जो संबंधित आपराधिक अपीलों में अपीलार्थी हैं);

((ii) सूचना देने वाले के जीवनसाथी को उसके द्वारा किए गए काम के लिए भुगतान नहीं मिला था, जिसके परिणामस्वरूप वह मानसिक दबाव में था और उसने आत्महत्या कर ली थी।

5 मई 2018 को फांसी देकर;

((iii) एक सुसाइड नोट है जिसमें उपरोक्त तीन व्यक्ति हैं।

जिम्मेदार; और

(iv) मुखबिर को 5 मई 2018 को सूचित किया गया था, जब वह और उनकी बेटी मुंबई में अपने आवास पर थे, कि उनकी सास कुमुद नाइक का उनके अलीबाग में निधन हो गया था।

निवास। अलीबाग जाते समय रास्ते में उन्हें बताया गया कि उनके पति ने आत्महत्या कर ली है।

अर्णब में घर पहुंचने पर मनमोहन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अलीबाग में, उसने अपनी सास का शव एक बिस्तर पर पड़ा पाया और उसके पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

8. 6 मई 2018 को, अलीबाग पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मुंबई में ए. आर. जी. के कार्यालय का दौरा किया और धारा 91 के तहत तीन नोटिस दिए। सीआरपीसी। 7 और 8 मई 2018 को ए. आर. जी. के दो प्रतिनिधियों ने अलीबाग पुलिस स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने धारा 91 के तहत पुलिस द्वारा अपने नोटिस में मांगी गई जानकारी सौंपने का दावा किया। 22 मई 2018 को, अपीलार्थी ने धारा 91 के तहत नोटिस में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद 30 मई 2018 और 28 जून 2018 को मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव के बयान प्रस्तुत किए गए।

ए. आर. जी. दर्ज किए गए। 9. 16 अप्रैल 2019 को, अलीबाग पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. ने 'ए' सारांश के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ("सी. जे. एम".) की अदालत में एक रिपोर्ट दायर की। सीजेएम ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया और 'ए' सारांश दिया। ए 'सारांश का अर्थ और महत्व बॉम्बे पुलिस नियमावली, 1959 के पैरा 219 (3) में परिलक्षित होता है। 'ए' सारांश एक ऐसे मामले को इंगित करता है जहां कोई अपराध किया गया है लेकिन इसका पता नहीं चला है, जिसमें दोषियों या संपत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है, या जहां आरोपी का पता है, लेकिन उन्हें भेजे जाने को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है।

मुकदमे के लिए मजिस्ट्रेट। बॉम्बे पुलिस नियमावली का पैरा 219 (3) इस प्रकार हैः

" बम्बई पुलिस नियमावली का नियम 219 (3)

(3) अंतिम रिपोर्ट अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक लिखी जानी चाहिए।

पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्तिगत रूप से और होना चाहिए

क्रमांकित और अनुक्रमित सभी केस पेपरों के साथ व्यवस्थित रूप से। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, तो

मजिस्ट्रेट से जमानत बांड रद्द करने का अनुरोध किया जाना चाहिए। उनसे यह भी अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे कुर्क की गई संपत्ति के निपटान के संबंध में आदेश पारित करें, जब तक कि किसी भी वस्तु, जैसे कि खून से सना हुआ कपड़ा, सही लेकिन अज्ञात मामलों में आगे उपयोग के लिए आवश्यक न हो। एक अनुरोध

मजिस्ट्रेट को मामले को वर्गीकृत करने और उसके आदेश का एक उचित सारांश जारी करने के लिए भी कहा जाना चाहिए, अर्थात्ः

" ए "सच है। अज्ञात (जहां दोषियों या संपत्ति के बारे में कोई सुराग नहीं है या जहां आरोपी को पता है, लेकिन उसे मजिस्ट्रेट (मुकदमे के लिए) के पास भेजे जाने को सही ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। " बी "दुर्भावनापूर्ण रूप से गलत है।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" सी "न तो सच है और न ही गलत, उदाहरण के लिए, तथ्य की गलती या होने के कारण

एक नागरिक प्रकृति।

" गैर-संज्ञेय "पुलिस जाँच से केवल गैर-संज्ञेय अपराध का पता चलता है"।

10. 'ए' सारांश के बाद, ए. आर. जी. और सूचना देने वाले के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान हुआ। ए. आर. जी. ने 11 जून 2019 को सी. डी. पी. एल., मुखबिर और उसकी बेटी को संबोधित अपने पत्र में संकेत दिया कि उनके बीच अतीत में कई बैठकें हुई थीं, जिसके दौरान ए. आर. जी. ने सी. डी. पी. एल. से क्षतिपूर्ति की मांग की थी।

भविष्य के किसी भी दावे के खिलाफ। अपने पत्र में ए. आर. जी. ने कहा कि यह होगा

रुपये की राशि हस्तांतरित करें। 39.01 सी. डी. पी. एल. के लेनदारों या ऋणदाताओं द्वारा भविष्य के दावों के लिए क्षतिपूर्ति के खिलाफ सी. डी. पी. एल. के अंतिम ज्ञात बैंक खाते में लाख। जवाब में, 15 जून 2019 को, सूचना देने वाले ने ए. आर. जी. को एक संचार को संबोधित करते हुए कहा कि कुल बिल राशि में से रु। 6.45 करोड़, एक

रुपये की राशि। 5.75 ए. आर. जी. से करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, और रुपये की राशि के समायोजन के बाद। 70.39 कटौती के लिए लाख

बिल से, रुपये की राशि। 88.02 लाख देय और देय था। 6 नवंबर 2019 को, ए. आर. जी. ने सूचना देने वाले को एक और पत्र संबोधित किया जिसमें पुलिस जांच को बंद करने और रुपये की राशि का भुगतान करने की अपनी तैयारी को दोहराया गया। 39.01 लाख उचित प्राधिकरण के अधीन। ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रैल 2020 के महीने में घटनाक्रम की झड़ी लगने तक मामला वहीं रुका हुआ था।

ग. अपीलार्थी के खिलाफ पिछली कार्यवाही

11. वर्तमान कार्यवाही के दौरान, अपीलार्थी ने अपने मामले का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य द्वारा पहले शुरू की गई कार्यवाही का समर्थन किया है कि गिरफ्तारी वास्तव में द्वेष से दूषित है। 12. 16 अप्रैल 2020 को रिपब्लिक टीवी पर एक प्रसारण हुआ, जिसके बाद 21 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में हुई एक घटना के संबंध में रिपब्लिक भारत पर एक प्रसारण हुआ। 16 अप्रैल 2020 को इस घटना के दौरान कथित तौर पर पुलिस और वन रक्षक कर्मियों की उपस्थिति में भीड़ ने दो साधुओं सहित तीन लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अपीलार्थी के अनुसार, उनके समाचार कार्यक्रम 'पुच्छा है भारत' में

21 अप्रैल 2020 को, उन्होंने पुलिस द्वारा घटना की कथित रूप से धीमी जांच के संबंध में मुद्दे उठाए थे।

13. जैसा कि इस न्यायालय ने 19 मई 2020 के एक फैसले में देखा, अर्नब मनमोहन गोस्वामी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रसारण के कारण महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड राज्यों के साथ-साथ केंद्र में भी अपीलार्थी के खिलाफ कई प्राथमिकियां और आपराधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र। एफ. आई. आर. क विषय वस्तु लगभग समान छल। महाराष्ट्र राज्य में एक एफ. आई. आर. दर्ज की गई थी पुलिस थाना सदर, जिला नागपुर शहर, जिसका विवरण इस प्रकार थाः

" महाराष्ट्र पुलिस में 22 अप्रैल 2020 की 2020 की प्राथमिकी संख्या 238 दर्ज की गई

स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर, महाराष्ट्र, धाराओं के तहत

153 , 153 - ए, 153-बी, 295-ए, 298,500,504 (2), 506,120-बी और 117

भारतीय दंड संहिता 1860। " उपरोक्त एफ. आई. आर. के अलावा, चौदह अन्य एफ. आई. आर. और शिकायतें

अपीलार्थी के खिलाफ उसके प्रसारण के संबंध में मामला दर्ज किया गया था।

14. अपीलार्थी ने अनुच्छेद के तहत कार्यवाही में इस न्यायालय का रुख किया

32 इन एफ. आई. आर. के पंजीकरण को चुनौती देने वाला संविधान। 24 अप्रैल 2020 के एक अंतरिम आदेश द्वारा, पुलिस स्टेशन सदर, जिला नागपुर शहर में दर्ज की गई एफ़. आई. आर. को एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन, मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे 2020 की एफ़. आई. आर. 164 के रूप में बदल दिया गया था। एक अन्य एफ. आई. आर., 2020 की एफ. आई. आर. 137, अपीलार्थी के खिलाफ 2 मई 2020 को पायधोनी पुलिस स्टेशन, मुंबई में दर्ज की गई थी। अपीलार्थी के खिलाफ 2020 की एफ़. आई. आर. 137 अपीलार्थी के नए चैनलों पर 29 अप्रैल 2020 को प्रसारित होने के कारण दर्ज की गई थी, जिसमें अपीलार्थी ने कोविड-19 महामारी के दौरान बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों की एक सभा का उल्लेख किया था और इस सभा के साथ एक धार्मिक पूजा स्थल को जोड़ने का प्रयास किया था। अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक और याचिका दायर की, जिसमें 2020 की एफ. आई. आर. 137 के पंजीकरण को चुनौती दी गई।

15. 19 मई 2020 के अपने फैसले से, इस अदालत ने सभी को रद्द कर दिया

एफ. आई. आर. एस., एफ. आई. आर. एस. को छोड़कर, जिसे नागपुर से मुंबई स्थानांतरित किया गया था, इस आधार पर कि एक ही कारण के संबंध में लगातार एफ. आई. आर./शिकायतों को बनाए नहीं रखा जा सका। अदालत ने अपीलार्थी को 2020 की एफ. आई. आर. 164 को रद्द करने के लिए सक्षम मंच के समक्ष ऐसे उपायों को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता प्रदान की जो कानून में उपलब्ध थे।

16. 30 जून 2020 के एक आदेश द्वारा,

बंबई उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 और सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी को निलंबित कर दिया

5 लेखन याचिका (सीआरएल) 2020 की सं. 130 6 रिट याचिका (क्र. सं.) 2020 की डायरी संख्या 1189 [2020] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पायधोनी पुलिस स्टेशन के समक्ष 2020 की एन. एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन की एफ. आई. आर. 137 के समक्ष 2020 की एफ. आई. आर. 164 में उल्लेख और पुष्टि की गई

राज्य को लेने से रोकने के लिए 6 जून 2020 का अंतरिम आदेश

याचिका का निपटारा लंबित रहने तक, दो प्राथमिकियों के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 17. इस घटना के अलावा, अपीलार्थी ने कुछ घटनाक्रमों पर भरोसा किया है जो उसके बाद हुए हैं। ये हैं:

(1) 9 सितंबर 2020 को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अपीलार्थी के समाचार चैनल के दो कर्मचारियों की गिरफ्तारी, जो कथित रूप से रायगढ़, महाराष्ट्र में एक जांच का नेतृत्व कर रहे थे और खालापुर पुलिस स्टेशन, रायगढ़ में धारा 452,448,323,504 और 506 के तहत 2020 की प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आईपीसी की धारा 34;

((ii) "शिव केबल सेना" द्वारा पूरे महाराष्ट्र में केबल ऑपरेटरों को एक पत्र जारी कर प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया है।

अपीलार्थी के समाचार चैनल का;

(iii) बॉम्बे उच्च न्यायालय का दिनांक 11 सितंबर का एक आदेश

2020 अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में कहा गया है कि शिव केबल सेना के पत्र में कानून का बल नहीं है और अपीलकर्ता कानून में उपलब्ध उपायों को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) 16 सितंबर 2020 को, अपीलार्थी को विधान सभा के विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए कारण बताने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जो इस मामले में शुरू की गई कार्यवाही का विषय है।

यह अदालत;

(v)

धारा 108 (1) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया गया था।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता,

बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद;

(vi) 6 अक्टूबर 2020 को 2020 की एफ. आई. आर. 843 का पंजीकरण

हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी की शिकायत पर कांदिवली पुलिस स्टेशन (बाद में क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई में स्थानांतरित)

' टीआरपी घोटाला ';

(vii) 8 अक्टूबर 2020 को मुंबई के पुलिस आयुक्त द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपीलार्थी के नाम का उल्लेख किया गया

कथित तौर पर 'टीआरपी घोटाले' में शामिल होना; अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(viii) अपीलार्थी ने 2020 की एफ. आई. आर. 843 के संबंध में राहत की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। 15 अक्टूबर 2020 के एक आदेश द्वारा, रिट याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि अपीलार्थी को बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था; और

(ix) अपीलार्थी ने रिट याचिका (सीआरएल) दायर की। बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2020 की डाक टिकट संख्या 3143, जिसमें 19 अक्टूबर 2020 को एक आदेश पारित किया गया था जिसमें जांच अधिकारी को 4 नवंबर 2020 को एक सीलबंद लिफाफे में जांच पत्र जमा करने के लिए कहा गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी को आज तक प्राथमिकी में अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है और यदि जांच अधिकारी ने जांच करने का प्रस्ताव दिया है, तो उसे समन जारी किया जाएगा। अपीलार्थी ने सहमति व्यक्त की कि

जाँच में सहयोग करें।

घ. पुनः जाँच शुरू करना और अपीलार्थी की गिरफ्तारी

18. 26 मई 2020 को महाराष्ट्र राज्य के गृह विभाग ने उप महानिरीक्षक को एक पत्र भेजा।

पुलिस ने कहा कि आई. पी. सी. की धारा 306/34 के तहत अलीबाग पुलिस स्टेशन में 2020 की अपराध संख्या 59 के रूप में दर्ज प्राथमिकी को "पुनः जांच के उद्देश्य से" अपराध जांच विभाग को स्थानांतरित किया जा रहा था। जहाँ तक सामग्री की बात है, पत्र इस प्रकार हैः

" उपर्युक्त विषय के संबंध में आपको सूचित किया जाता है कि अपराध सं। 59/2020 अलीबाग पुलिस स्टेशन में धारा 306/34 और अपराध सं. 114 धारा 305 के तहत अलीबाग पुलिस स्टेशन में दर्ज 2018 को अपराध को हस्तांतरित किया जा रहा है।

पुनः जाँच के उद्देश्यों के लिए जाँच विभाग। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप उन्हें सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

मामले की पुनः जांच और रिपोर्ट के संबंध में जाँच पहले ही सरकार को सौंपी जा चुकी है।

19. 15 अक्टूबर 2020 को, स्थानीय अपराध जांच शाखा, रायगढ़ ने सीजेएम, अलीबाग को एक संचार को संबोधित किया, जिसमें रिकॉर्ड किया गया था

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के तहत 2018 के अपराध संख्या 59 के संबंध में सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच शुरू करना।

20. 4 नवंबर 2020 को, अपीलार्थी को लगभग 7 बजे गिरफ्तार किया गया थाः 45 मैं 5 मई 2018 की 2018 की एफ. आई. आर. 59 के संबंध में हूँ। 2 बजेः 37

7 2020 [2020] की लिखित याचिका (क्र.) 312 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपराह्न, अपीलार्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226/227 और सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के प्रावधानों को लागू करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

21. अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद, सीजेएम, रायगढ़ के समक्ष रिमांड आवेदन दायर किया गया था। 4 नवंबर 2020 के एक आदेश द्वारा, सीजेएम ने पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया। यह देखते हुए कि पहले एक 'ए' सारांश था, सीजेएम ने पुलिस हिरासत की याचिका को खारिज करते हुए, अपीलार्थी को 18 नवंबर 2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के समक्ष एक संशोधन में पुलिस हिरासत से इनकार करने वाले सीजेएम के आदेश को चुनौती दी है।

22. अपीलार्थी द्वारा बॉम्बे के समक्ष दायर रिट याचिका

उच्च न्यायालय की सुनवाई 5,6 और 7 नवंबर 2020 को हुई थी। 7 नवंबर 2020 को, उच्च न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिए और अपीलार्थी को इस निर्देश के साथ कि दाखिल करने की तारीख के चार दिनों के भीतर इसकी सुनवाई तेजी से की जानी चाहिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता प्रदान की। उपरोक्त निर्देश का पालन करते हुए, अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए सत्र न्यायालय, रायगढ़ का रुख किया। 9 नवंबर 2020 के अपने विवादित फैसले और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 10 दिसंबर 2020 को प्राथमिकी को रद्द करने की प्रार्थना के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई को स्थगित कर दिया। ऐसा करते समय, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया कि असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है और अपीलार्थी के पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय था।

ई. वकीलों की प्रस्तुतियाँ

23. जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करना

अपीलार्थी, श्री हरीश एन साल्वे, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया किः

अपीलार्थी की गिरफ्तारी वास्तव में द्वेष में निहित है, जो

((i)

जिस तरह से रिपब्लिक टीवी और आर भारत के प्रधान संपादक के रूप में अपीलार्थी को महाराष्ट्र की आलोचना करने वाले उनके समाचार प्रसारणों के लिए निशाना बनाया गया है, उससे यह स्पष्ट है।

सरकार और महाराष्ट्र पुलिस;

((ii) पुलिस रिपोर्ट की स्वीकृति और 16 अप्रैल 2019 को 'ए' सारांश जारी होने के बाद, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री के कहने पर पुनर्निरीक्षण का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, सीजेएम की विशिष्ट अनुमति के अभाव में, यह इसके लिए खुला नहीं था

पुनर्निरीक्षण करने के लिए राज्य; और अर्णब मनमोहन गोस्वामी बनाम।

(iii) एफ. आई. आर. में निहित आरोप, जैसा कि वे खड़े हैं, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के तहत अपराध स्थापित नहीं करते हैं। वहाँ उकसाने के अपराध का गठन करना

मौजूद होना चाहिएः

आई. आयोग को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाना

अपराध;

ii. उकसाने या करने में अभियुक्त की सक्रिय भूमिका

अपराध करने में सुविधा प्रदान करने वाला कार्य; और

iii. समय पर एक निकट संबंध का अस्तित्व।

वर्तमान मामले में, यह प्रस्तुत किया गया था कि भले ही प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन उकसाने का कोई मामला स्थापित नहीं किया गया है।

यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी की कंपनी (ए. आर. जी.) ने

मृतक की कंपनी (सी. डी. पी. एल.) को आंतरिक कार्य का अनुबंध सौंपा गया। इसके अलावा, यह विवाद में नहीं है कि जहां 5 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया है, वहीं दोनों कंपनियों के बीच शेष भुगतान के संबंध में एक वाणिज्यिक विवाद लंबित था। एफ. आई. आर. की सामग्री से यह भी पता चलता है कि मृतक मानसिक दबाव से पीड़ित था।

इसके अलावा, ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अपीलार्थी ने अपराध करने के लिए या तो उकसाया था या कोई कार्य किया था।

24. श्री साल्वे ने आगे कहा कि हबीब जिलानी (उपरोक्त) मामले में इस अदालत के फैसले की उच्च न्यायालय द्वारा गलत व्याख्या की गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह उच्च न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के अनुसरण में था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन दायर किया गया था। हालांकि, 9 नवंबर 2020 को भी लोक अभियोजक ने सत्र न्यायाधीश के समक्ष एक नोट दायर किया है कि सीजेएम के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर पहले सुनवाई की जानी चाहिए और उसके बाद ही जमानत के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए। उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी को राज्य के प्रतिशोध का लक्ष्य बनाया गया है

सरकार, जो क्रमिक घटनाओं से उभरती है

जो अप्रैल 2020 से हो रहे हैं। इसलिए, यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी जारी रखने का कोई आधार नहीं है और उसे उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कोई उचित आधार नहीं है, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था। श्री साल्वे ने अंत में प्रस्तुत किया कि अदालतों के प्रक्रियात्मक पदानुक्रम को संरक्षित करने में रुचि को अपीलार्थी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता को रास्ता देना चाहिए क्योंकि अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि डिफ़ॉल्ट नियम है

' जमानत, जेल नहीं '।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टउपरोक्त प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए, श्री अमित देसाई, दूसरे प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया किः

उच्च न्यायालय ने इस बात की जांच नहीं करने की सलाह दी है कि क्याः

आई. जाँच दुर्भावना से दूषित है; और

ii. एफ़. आई. आर. की सामग्री, जैसा कि वे सामने आती हैं, धारा 376 के अर्थ के भीतर एक अपराध बनाती है।

आईपीसी की धारा 34;

उच्च न्यायालय ने दुर्भावना के मुद्दे पर प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त करने से इनकार कर दिया क्योंकि एक अवसर दिया जा रहा था

राज्य को अपना काउंटर दाखिल करने के लिए। इसी तरह, यह मुद्दा कि क्या प्राथमिकी रद्द करने योग्य है, 10 दिसंबर 2020 को अंतिम सुनवाई में लिया जाएगा और इसलिए उच्च न्यायालय ने

प्रथम दृष्टया दृष्टिकोण व्यक्त करने से सही ढंग से परहेज किया; 15 अक्टूबर 2020 और 4 नवंबर 2020 के बीच, एक और जांच की गई है और बयान दिए गए हैं।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभिलिखित; के मामले में इस न्यायालय के फैसले के अनुसार

प्रवीण प्रधान बनाम उत्तरांचल राज्य और Ors.8

परिस्थितियों से निष्कर्ष निकालना होगा कि यह निर्धारित करें कि क्या वे एक ऐसी प्रकृति के थे जिसने ऐसी स्थिति पैदा की जिसमें एक व्यक्ति पूरी तरह से निराश महसूस करता था और अंततः आत्महत्या कर लेता था। इसके अलावा, कार्यवाही को रद्द करने के बारे में निर्धारण करते समय, न्यायालय को केवल गठन करना होता है

एक अस्थायी राय और एक दृढ़ दृष्टिकोण नहीं;

सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत जमानत के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए अदालतों का एक पदानुक्रम प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले में, इस पदानुक्रम को पारित करने का कोई वैध आधार नहीं है ताकि

अपीलार्थी को राहत प्रदान करना;

शुरू में जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था

अपीलार्थी जिसे न्यायिक आदेश के बाद वापस ले लिया गया था

सी. सी. 734 ए. बी. मनमोहन गोस्वामी बनाम द स्टेट ऑफ अरुन्ह [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अभिरक्षा पारित की गई। उच्च न्यायालय के फैसले को सुरक्षित रखते हुए जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है

चार दिनों के भीतर इसके निपटान के निर्देश के साथ ऐसा करना। इसलिए, यह उचित है कि अपीलार्थी को धारा 439 के तहत उपचार करने के लिए हटा दिया जाए;

हेबियस कॉर्पस की रिट के अनुदान के लिए रिट याचिका में प्रार्थना (ए) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए बनाए रखने योग्य नहीं थी कि

बंबई उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की सुनवाई के दौरान, खंड पीठ ने संकेत दिया कि यदि अपीलकर्ता को धारा 439 के तहत आवेदन दायर करना है, तो मुख्य न्यायाधीश के उचित प्रशासनिक निर्देश इसे खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए प्राप्त किया जाए क्योंकि जमानत के लिए आवेदन एकल न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई के लिए रखे जाते हैं (जबकि याचिका एक खंड पीठ के समक्ष थी) और अपीलार्थी ने जमानत पर रिहा होने के लिए लंबित रिट याचिका में केवल एक अंतरिम आवेदन दायर किया था;

अपीलार्थी ने एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए मामला बनाया है या नहीं और क्या राज्य के गृह विभाग में पुनः जांच का आदेश दिया जा सकता था, इन दोनों मुद्दों पर उच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसंबर 2020 को विचार किया जाएगा। उच्च न्यायालय ने अभियुक्त और मृतक पीड़ित के परिवार के अधिकारों के बीच संतुलन बनाया है। सूचना देने वाले द्वारा एक ठोस रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि यह केवल सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के माध्यम से था

कि उसे ए 'सारांश के बारे में पता चला था और मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किए जाने से पहले उसे नहीं सुना गया था

पुलिस रिपोर्ट को स्वीकार करना;

यहां तक कि जब बॉम्बे पुलिस नियमावली के पैरा 219 (3) के संदर्भ में ए 'सारांश को स्वीकार कर लिया गया है, तब भी जांच अधिकारी द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच पर कोई रोक नहीं है। ए सारांश बताता है कि कोई पूरा नहीं हुआ था

जांच पड़ताल की। इसलिए, [2020] 11 एस. सी. आर. के रूप में पूर्व न्यायिक मंजूरी की आवश्यकता है।

ए 'सारांश दाखिल करने के बाद आगे की जांच करने के लिए पूर्व शर्त जांच अधिकारियों की अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने की क्षमता में बाधा डालेगी। विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य 'मामले में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए भी इस तरह की कार्रवाई की अनुमति है; और

(xii) उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचने में न्यायोचित था कि

वर्तमान मामले के तथ्यों में ऐसा कुछ भी असाधारण नहीं था जिससे न्यायालय की अंतरात्मा को झटका लगे ताकि अनुच्छेद 226 के तहत अपीलार्थी को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने के लिए उसके असाधारण अधिकार क्षेत्र का सहारा लिया जा सके। किसी भी अन्य दृष्टिकोण के कारण अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा।

जमानत के लिए आवेदन, जो पहले से ही धारा के तहत उपलब्ध है

439 सीआरपीसी से।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत कानून के अनुसार उपचार जिसके लिए उच्च न्यायालय द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके अलावा, श्री सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि ए 'सारांश वास्तव में समापन रिपोर्ट नहीं है और जांच पूरी नहीं हुई है। इसलिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी आगे की जांच करने के अधिकार क्षेत्र में था। अंत में, श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि हालांकि वे इस तथ्य पर जीवित हैं कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता दांव पर है, लेकिन यह न्यायालय समान विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले कई मामलों में हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि इस न्यायालय को वर्तमान मामले में अपना हाथ रखना चाहिए। 27. पाँचवें प्रतिवादी, सूचना देने वाले की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह इन अपीलों का विरोध करने में पहले और दूसरे उत्तरदाताओं की दलीलों में शामिल हो गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि:

((i)

4 नवंबर 2020 को न्यायिक रिमांड के आदेश के बाद, जमानत के लिए आवेदन अपीलार्थी की ओर से दायर किया गया था और वापस ले लिया गया था;

9 2019 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1346 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

(ii) 7 नवंबर 2020 को, सत्र न्यायालय ने पुलिस हिरासत को रिमांड देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन पर एक नोटिस जारी किया;

(iii) 7 नवंबर 2020 को, उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2020 को निर्णय की घोषणा के लिए कार्यवाही की और अपीलार्थी को जमानत के लिए आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद, अपीलार्थी द्वारा 8 नवंबर 2020 को जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया गया था। इसके बाद इस अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका और इस आधार पर कथित दुर्भावना की जांच करने से सही ढंग से इनकार कर दिया है कि काउंटर अभी भी दायर किए जाने हैं; और

(iv) 15 अक्टूबर 2020 को, क्राइम डिटेक्शन यूनिट ने सी. जे. एम. को सूचित किया कि वह आगे की जांच शुरू कर रही है, जिस पर सी. जे. एम. ने समर्थन किया है कि इसे "नोट और दायर" किया गया था। बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे। सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) व्यापक शक्ति प्रदान करती है

जाँच अधिकारी पर आगे की जाँच। ए 'सारांश के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, यह शक्ति है
वर्तमान मामले में वैध रूप से प्रयोग किया गया। धारा 173 (8) के तहत आगे की जांच की शक्ति का प्रयोग

सी. आर. पी. सी. को न्यायिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।

28. वर्तमान दीवानी अपील के साथ, इस न्यायालय ने दो सहयोगी दीवानी अपीलों में भी दलीलें सुनी हैं। उन दोनों साथी में

इस न्यायालय के समक्ष श्री गोपाल शंकरनारायणन और विद्वान वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी द्वारा अपील, प्रस्तुतियाँ की गई हैं।

एफ. 2020 की आपराधिक अपील संख्या 743 (एसएलपी से बाहर उठना)

(सी. आर. एल.) 2020 की सं. 5599)

अभियुक्त के रूप में नामित किया गया। 30. श्री फिरोज शेख आईकास्टएक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हैं। 2016 में, आईकास्टएक्स टेक्नोलॉजीज ने निर्माण, नवीनीकरण और विकास के काम के लिए मेसर्स एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली।

अंधेरी पूर्व, मुंबई में उनके कार्यालय परिसर का नवीनीकरण। एटोस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बदले में सी. डी. पी. एल. को काम का उप-अनुबंध दिया। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आईकास्टएक्स [2020] 11 एस. सी. आर. के बीच संबंध की गोपनीयता थी।

प्रौद्योगिकी और सी. डी. पी. एल. श्री शंकरनारायणन ने प्रस्तुत किया कि तीनों अपीलकर्ता तीन अलग-अलग कंपनियों से जुड़े तीन अलग-अलग व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

31. श्री शंकरनारायणन ने आई. पी. सी. की धारा 107 की आवश्यक आवश्यकताओं पर प्रस्तुतियों का समर्थन किया है।

मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य 1, सुनील भारती मित्तल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 1 1 और कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 1 2 ("कॉमन कॉज") में निर्णय। श्री शंकरनारायणन ने आगे तर्क दिया कि मुखबिर के कहने पर 5 मई 2018 को दर्ज की गई प्राथमिकी में उनके मुवक्किल के बारे में कोई संदर्भ नहीं था। अंत में, उन्होंने विनीत नारायण और ओआरएस में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया। बनाम भारत संघ और Ors.[13] 13 यह आग्रह करने के लिए कि जांच या अभियोजन के दौरान कार्यकारी हस्तक्षेप अस्वीकार्य है।

जी. 2020 की आपराधिक अपील संख्या 744 (2020 की एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) संख्या 5600 से उत्पन्न)

32. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि मान लीजिए कि एफ. आई. आर. में नामित तीनों आरोपी असंबद्ध हैं। अपीलार्थी स्मार्टवर्क बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में निदेशक है।

जिसमें एक प्रतिशत से भी कम हिस्सेदारी उनके अपने नाम पर है।

33. कंपनी जिसके कार्यालय नई दिल्ली और कोलकाता में हैं

पुणे में अपने व्यापार केंद्र को प्रस्तुत करने के लिए कई विक्रेताओं/ठेकेदारों की सेवाएं ली थीं, जिनमें से एक सी. डी. पी. एल. था और 4 करोड़ 17 लाख रुपये का खरीद आदेश जारी किया गया था। इसके बाद, सी. डी. पी. एल. द्वारा कार्य के निष्पादन में पर्याप्त देरी और विसंगतियां हुईं, जिसके कारण मेलों का आदान-प्रदान हुआ। इसके अलावा, 5 करोड़ रुपये से अधिक का चालान जुटाया गया था जिसमें जी. एस. टी. के लिए 1 लाख रुपये की राशि भी शामिल थी। इसके अनुसार, 4.4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन शेष के संबंध में दोनों कंपनियों के बीच एक वास्तविक वाणिज्यिक विवाद था।

राशि।

34. यह प्रस्तुत किया गया है कि इसके बावजूद, प्राथमिकी में अपीलार्थी को कथित अपराधों में दूर से भी फंसाने का कोई आधार नहीं है

आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के तहत। वहाँ भी नहीं है

10 (2010) 8 एस. सी. सी. 628 11 (2015) 4 एस. सी. सी. 609

12 (2018) 5 एससीसी 1

13 (1988) 1 एस. सी. सी. 226 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग के 26 मई 2020 के पत्र पर भरोसा करने के बाद शुरू किया गया था पुलिस महानिदेशक। निवेदन यह है कि एक बार सीजेएम ने स्वीकार कर लिया

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट और 16 अप्रैल 2019 को एक 'ए' सारांश जारी किया गया, यह जांच अधिकारी के लिए न्यायिक मंजूरी के बिना फिर से जांच शुरू करने के लिए खुला नहीं था।

36. इस निवेदन के साथ मुद्दे को जोड़ना राज्य का तर्क है कि जांच अधिकारी की आगे की जांच का आदेश देने की शक्ति है

सी. आर. पी. सी. की धारा 173 (8) के तहत मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से स्वतंत्र है। राज्य के विचार में, बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 4 उसे पुलिस बल का अधीक्षण सौंपती है और उस शक्ति का प्रयोग करते हुए, यह गृह विभाग के लिए वैध रूप से खुला था कि वह पीड़ित की शिकायत के आधार पर आगे की जांच का निर्देश दे (हालांकि पत्र में 'पुनः जांच' शब्द का उपयोग किया गया है) कि

अपराध की ठीक से जाँच नहीं की गई थी। इसके अलावा, राज्य ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 36 के प्रावधानों पर भरोसा किया है, जिसके तहत एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी से बेहतर रैंक के पुलिस अधिकारी पूरे स्थानीय क्षेत्र में समान शक्तियों का प्रयोग करने के हकदार हैं, जिसमें उन्हें नियुक्त किया जाता है।

37. अपीलार्थी के अनुसार, जब उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की गई थी, तो रिमांड का आदेश पारित नहीं किया गया था और इसके बाद ही 4 नवंबर 2020 की रात को एक आदेश दिया गया था। सी. जे. एम. द्वारा न्यायिक हिरासत देने की मंजूरी दी गई थी। जो भी हो, उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने के लिए अनुरोध (क) पर दबाव नहीं डाला गया था। एक बार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए प्रार्थना नहीं की गई थी (उच्च न्यायालय के रूप में)

अभिलेख), उच्च न्यायालय के लिए इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विवादित निर्णय में कई पृष्ठ समर्पित करना अनावश्यक था।

38. उच्च न्यायालय के समक्ष शेष प्रार्थना प्राथमिकी को रद्द करने के लिए थी। श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि गिरफ्तारी का आदेश अवैध है और [2020] 11 एस. सी. आर.

अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके इसे घोषित करने का हकदार है। यह आग्रह किया गया कि धारा 173 (8) के तहत "आगे की जांच" करने की शक्ति है और इसकी फिर से जांच करने या नए सिरे से जांच कराने की कोई शक्ति निहित नहीं की गई है। यह आग्रह किया गया कि पुनः जाँच करने या नए सिरे से जाँच कराने की शक्ति केवल संवैधानिक न्यायालयों में निहित है। धारा 173 (8) के प्रावधानों के विपरीत, यह आग्रह किया गया था कि गृह विभाग ने उप महानिरीक्षक को लिखे अपने पत्र में पुनः जांच का निर्देश दिया है। वर्तमान मामले में, गृह का संचार विभाग यह स्पष्ट करता है कि राज्य के गृह मंत्री के अधिकार के तहत एक पुनः जांच का आदेश दिया गया था, जो प्रस्तुतिकरण के अनुसार, कानून के प्रावधानों से परे है। श्री रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया है कि रिमांड के लिए आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि जो आदेश दिया गया है वह एक पुनर्निरीक्षण था, क्योंकि आवेदन में बार-बार "व्यापक पुनर्निरीक्षण" और इस तथ्य का उपयोग किया गया है कि "पुनर्निरीक्षण आवश्यक हो गया है"।

39. अंत में, यह आग्रह किया गया कि गृह मंत्री के आदेश में

राज्य को 26 मई 2020 को जारी किया गया था, जबकि जांच 15 अक्टूबर 2020 को शुरू हुई थी और 4 नवंबर 2020 को मई 2018 में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तारी की गई थी, जिस पर 16 अप्रैल 2019 को ए 'सारांश स्वीकार किया गया था। कुल मिलाकर, यह प्रस्तुत किया गया है कि 16 अप्रैल 2019 को बंद करने के आदेश के बाद, एक पुनः जांच मामले में आदेश नहीं दिया जा सकता था। गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया गया है।

एच. अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और

धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता

यह संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में निहित है। इस मुद्दे का विश्लेषण इस स्थिति के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए कि प्रार्थना के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही 5 मई 2018 को दर्ज की गई 2018 की सी. आर. संख्या 0059 की एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक रिट को छोड़ दिया गया था।

41. उच्च न्यायालय ने हबीब जिलानी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले पर विस्तार से विचार किया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि रद्द करने की शक्तियों का प्रयोग "कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए संयम से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में और चरम परिस्थितियों में"। इस सिद्धांत को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय ने राय दी:

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 45. उसमें कहा गया सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय की शक्ति के प्रयोग पर समान रूप से लागू होगा।

जमानत के लिए आवेदनों पर विचार करना क्योंकि याचिकाकर्ता पहले से ही न्यायिक हिरासत में है। विधायिका ने नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए धारा 439 Cr.P.C के तहत विशिष्ट उपाय प्रदान किया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध वैकल्पिक और प्रभावी उपचार को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को धारा के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर याचिका में नियमित जमानत मांगने की प्रकृति के आवेदन पर विचार करते हुए न्यायिक संयम का प्रयोग करना होगा।

482 दंड प्रक्रिया संहिता "।

उपरोक्त आधार के आधार पर, उच्च न्यायालय ने इस बात की प्रथम दृष्टया जांच करने से भी इनकार कर दिया है कि क्या आरोप में निहित हैं

एफ. आई. आर., जैसा कि वे खड़े हैं, आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के प्रावधानों को आकर्षित करती है। इसके विचार में, क्योंकि याचिका के लिए पोस्ट किया जा रहा था

10 दिसंबर 2020 को सुनवाई के दौरान, यह मामले के इस पहलू की जांच करने के लिए इच्छुक नहीं था और अपीलार्थी धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

42. अब इसी पृष्ठभूमि में यह आवश्यक हो जाता है

हबीब जिलानी (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का सिद्धांत रूप में वास्तविक महत्व क्या है, इसका मूल्यांकन करने के लिए न्यायालय। यह एक ऐसा मामला था जहाँ,

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत एक रिपोर्ट के आधार पर, आईपीसी की धारा 147,148,149 और 307 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत को चुनौती देते हुए, एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया था। उच्च न्यायालय (जैसा कि हबीब जिलानी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 2 से संकेत मिलता है) ने इस आधार पर हस्तक्षेप करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की कि मामले की जांच पर रोक लगाना उचित नहीं था। यह इस पृष्ठभूमि में था कि निम्नलिखित मुद्दे को पहले में तैयार किया गया था

इस न्यायालय के निर्णय का अनुच्छेद, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (जैसा कि वे उस समय थे) के माध्यम से बोलते हुए, विचार के लिए:

जाँच को रद्द करने के आवेदन में हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया (सी. आर. पी. सी.) जाँच एजेंसी को गिरफ्तार न करने से रोक सकती है। जाँच के दौरान अभियुक्त व्यक्ति। "[2020] 11 एस. सी. आर.

पैराग्राफ 11 और 15 के बीच, इस न्यायालय ने तब एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संस्थान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रकृति क्षेत्राधिकार का मूल्यांकन किया और कहाः

" 11. एक बार एफ. आई. आर. दर्ज हो जाने के बाद, अभियुक्त व्यक्ति हमेशा एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए धारा 482 सी. आर. पी. सी. या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। भजन लाल में [हरियाणा राज्य बनाम। भजन लाल, 1992 पूरक (1) एस. सी. सी. 335: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 426: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604] दोनों-न्यायाधीश पीठ

लाल गुप्ता बनाम। रामेश्वर प्रसाद, (1972) 1 एस. सी. सी. 452; 1972 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 208], जहाँ सिंह बनाम। दिल्ली प्रशासन। [जेहान सिंह बनाम। दिल्ली प्रशासन। , (1974) 4 एससीसी 522: 1974 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 558: ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1146], अमर नाथ बनाम। हरियाणा राज्य [अमर नाथ बनाम। हरियाणा राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 585], कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम। हरियाणा राज्य [कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम। हरियाणा राज्य, (1977) 4 एससीसी 451: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613], बिहार राज्य बनाम। जे. ए. सी. सल्दान्हा [बिहार राज्य बनाम। जे. ए. सी. सल्दान्हा, (1980) 1 एससीसी 554: 1980 एससीसी (सीआरआई) 272: ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 326], स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. बनाम। स्वपन कुमार गुहा [राज्य डब्ल्यू. बी. बनाम। स्वपन कुमार गुहा (1982) 1 एस. सी. सी. 561: 1982 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 283: आकाशवाणी 1982

एससी 949], नागावा बनाम। वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी [नागावा बनाम। वीरन्ना शिवलिंगप्पा कोंजलगी, (1976) 3 एस. सी. सी. 736: 1976 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 507: आकाशवाणी 1976 एससी 1947], माधवराव

जीवाजीराव सिंधिया बनाम। संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे

[माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम। संभाजीराव चंदरोजीराव

आंग्रे, (1988) 1 एस. सी. सी. 692: 1988 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 234], बिहार राज्य बनाम। मुराद अली खान [बिहार राज्य बनाम। मुराद अली खान, (1988) 4 एससीसी 655: 1989 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 27: ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1] और कुछ अन्य प्राधिकरण जिन्होंने उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की रूपरेखा से निपटा था, उन्होंने उदाहरण के माध्यम से कुछ श्रेणी के मामलों का उल्लेख करना उचित समझा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है

ऐसे असंख्य मामले जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। राज्य HARASTRA [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

12. न्यायालय द्वारा दिए गए दृष्टांतों को फिर से प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैः

(1) एससीसी 335: 1992 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 426: ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604], एस. सी. सी. पीपी. 378-79 , पैरा 102) " (1) जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और

उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करता है या अभियुक्त के खिलाफ मामला नहीं बनाता है।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं। (4) जहां, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां एक पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत विचार किया गया है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। (6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्था के लिए एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और

(7) जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहाँ कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए की जाती है। और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उनका विरोध करने की दृष्टि से। "[2020] 11 एस. सी. आर.

फिर भी, यह उन परिस्थितियों और स्थितियों पर प्रकाश डालता है जहाँ न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। 13. इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि एफ. आई. आर. को रद्द करने के मामले में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

संयम और सावधानी के साथ और कब और केवल तभी जब इस तरह के अभ्यास को प्रावधान में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षण द्वारा उचित ठहराया जाता है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन यह कहने पर विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है।

14. इस संबंध में, एक परिच्छेद को पुनः प्रस्तुत करना प्रतीत होता है

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से [कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम। राज्य हरियाणा का, (1977) 4 एस. सी. सी. 451: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613] जिसमें चंद्रचूड़, जे. (तब उनके स्वामी के रूप में) ने इस प्रकार राय दीः (एस. सी. सी पी. 451, पैरा 2)

" 2. यह हमें इस हद तक आश्चर्यचकित करता है कि उच्च न्यायालय ने सोचा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वह प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द कर सकता है। पुलिस ने विश्वविद्यालय के वार्डन द्वारा दायर शिकायत की जांच भी शुरू नहीं की थी और प्राथमिकी के अनुसरण में किसी भी अदालत में कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी। यह महसूस किया जाना चाहिए कि अंतर्निहित शक्तियाँ मनमाना अधिकार प्रदान नहीं करती हैं।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता है कि वह सनक या सनक के अनुसार कार्य करे। उस वैधानिक शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए,

चौकसी और दुर्लभतम मामलों में "।

15. हमने उक्त निर्णयों का उल्लेख केवल इस पर जोर देने के लिए किया है

मुद्दा यह है कि प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कैसे उचित ठहराया जा सकता है। हम दोहराने की कीमत पर भी दोहराते हैं कि उक्त शक्ति का उपयोग बहुत कम तरीके से किया जाना चाहिए और इसका उपयोग दम घुटने या दम घुटने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

अभियोजन जो वैध हो। आश्चर्य जो लगभग चार दशक पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मामले में व्यक्त किया गया था [कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बनाम। हरियाणा राज्य, (1977) 4 एससीसी 451: 1977 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 613] हमें यह देखने के लिए मजबूर करता है कि हम भी विवादित आदेश से हैरान हैं। अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

43. इसके बाद, इस न्यायालय ने नोट किया कि "उच्च न्यायालय ने नहीं किया है

एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों या जाँच में क्या सामने आया है "। जबकि एक ओर, उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया

कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इसने फिर भी पुलिस को अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।

जाँच का विलंब। इस संदर्भ में इस न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत आवेदनों को खारिज करते हुए आदेश पारित किया था कि यदि अभियुक्त विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करता है, तो उसे ऐसे नियमों और शर्तों पर जमानत के लिए स्वीकार किया जाएगा जो उसे उचित और उचित समझा गया था। हेमा मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में पहले के फैसले को स्वीकार करने के बाद, इस अदालत ने कहाः

" 23. हमने हेमा मिश्रा [हेमा] में प्राधिकरण का उल्लेख किया है।

मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 453: (2014) 2 एससीसी (सीआरआई)

363] जैसा कि विशेष रूप से उस मामले से संबंधित है जो आया था

उत्तर प्रदेश राज्य जहाँ धारा 438 सीआरपीसी को हटा दिया गया है।

यह लाल कमलेंद्र में व्यक्त विचार से सहमत है।

प्रताप सिंह बनाम। की स्थिति

प्रताप सिंह [लाल कमलेंद्र]

उत्तर प्रदेश, (2009) 4 एस. सी. सी. 437: (2009) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 330] ने कहा कि

कहने की जरूरत नहीं है कि निर्णय को राज्य के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश से। हम उक्त सिद्धांत को विस्तृत करने का इरादा नहीं रखते हैं।

क्योंकि इस मामले में यह आवश्यक नहीं है। यहाँ क्या कहा जाना चाहिए

कि वे राज्य जहाँ धारा 438 सी. आर. पी. सी. को हटाया नहीं गया है

और क़ानून की किताब में रखते हुए, उच्च न्यायालय को अच्छी तरह से सलाह दी जानी चाहिए

कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाओं पर विचार करते हुए या धारा 482 सी. आर. पी. सी., यह न्यायिक संयम का प्रयोग करता है। हम जल्दी कर सकते हैं

रद्द करने और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम के मापदंड, जाँच को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र और उचित पारित कर सकता है

अंतरिम आदेश जैसा कि कानून में उचित माना जाता है, लेकिन यह बिल्कुल है वर्तमान प्रकृति के आदेश को पारित करना अकल्पनीय और अकल्पनीय है

हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए या राय व्यक्त करते हुए कि यह नहीं है

जाँच पर रोक लगाना उचित है। इस तरह का आदेश वास्तव में है

अनुचित और अनुचित। इसकी कोई कानूनी मंजूरी नहीं है। अदालतें

दायर करने के लिए टोपी की बूंद पर न्यायालय का अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र एफ. आई. आर. या जाँच शुरू करने को रद्द करने के लिए आवेदन और

फिर एक अंतरिम आदेश द्वारा राहत की मांग करें। यह न्यायालय का दायित्व है

ऐसे सिद्धांतहीन और अनैतिक वादियों को दूर रखने के लिए।

44. उपरोक्त निर्णय इस प्रकार एक ऐसी स्थिति में उत्पन्न हुआ जब उच्च न्यायालय ने एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482। हालांकि, इसने फिर भी जांच एजेंसी को जांच के लंबित रहने के दौरान आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया। इस न्यायालय द्वारा इसे अनुज्ञेय नहीं माना गया था। दूसरी ओर, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि उच्च न्यायालय उचित समझता है, तो रद्द करने के मानदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, जांच को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है और पारित कर सकता है।

कानून में उपयुक्त समझे जाने वाले उचित अंतरिम आदेश "। इसलिए स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने यह रद्द करने के लिए एक याचिका पर प्रथम दृष्टया पूछताछ करने से इनकार करने में खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया है कि क्या उस अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में मापदंड विधिवत स्थापित किए गए हैं और यदि हां, तो क्या अंतरिम जमानत देने का मामला बनाया गया है। हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद से लगातार दोहराए गए स्थिर सिद्धांत ("भजन")

लाल ") में ऐसी स्थिति शामिल है जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं। इस कानूनी स्थिति को हाल ही में कमल शिवाजी पोकर्णेकर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में इस अदालत की दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक निर्णय में दोहराया गया था।

I. प्रथम दृष्टया एफ. आई. आर. का मूल्यांकन और जमानत की मंजूरी

45. पचास-छह पृष्ठों से अधिक के उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का उल्लेखनीय पहलू किसी भी मूल्यांकन का अभाव है

यहां तक कि सबसे बुनियादी मुद्दे का प्रथम दृष्टया भी। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय एक मौलिक मुद्दे पर अपना दिमाग लगाने में विफल रहा, जिसकी आवश्यकता थी

संविधान के अनुच्छेद 226 या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत रद्द करने के लिए याचिका पर विचार करते समय विचार किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 9 नवंबर 2020 के अपने फैसले द्वारा, इसके बजाय रद्द करने की याचिका को एक महीने बाद सुनवाई के लिए खड़े होने की अनुमति दी है, और इसलिए अंतरिम जमानत के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना को अनुमति देने से इनकार कर दिया है और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत उपचार के लिए भेज दिया है। इस बीच, स्वतंत्रता हताहत हुई है। उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया यह मूल्यांकन करने में विफल रहा कि क्या एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोप, जैसा कि वे मानते हैं, मामले को आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के दायरे में लाते हैं, अब इस न्यायालय को कार्य करने के लिए कहा जाता है।

15 1992 सप. 1 एस. सी. सी. 335

16 1 6 (2019) 14 एस. सी. सी. 350 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

46. एफ. आई. आर. की सामग्री का मूल्यांकन करने से पहले, आई. पी. सी. की धारा 376 का संदर्भ आवश्यक है। धारा306 में कहा गया है कि यदि

व्यक्ति आत्महत्या करता है "जो इस तरह की आत्महत्या के लिए उकसाता है"

उसे 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा। धारा 107 आई. पी. सी. के अध्याय 5 के अंतर्गत आती है, जिसका शीर्षक "प्रोत्साहन" है। धारा 107 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

" 107. किसी चीज़ को बढ़ावा देना। एक व्यक्ति किसी काम को करने में मदद करता है,

कौन-पहले। - किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए उकसाता है; या

दूसरा। उस कार्य को करने के लिए किसी भी साजिश में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ संलग्न होता है, यदि उस साजिश के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक होती है, और

उस चीज़ को करना; या
तीसरी बात। जानबूझकर किसी भी कार्य या अवैध चूक से, करने में सहायता करता है

स्पष्टीकरण 1. एक व्यक्ति जो जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत करके, या किसी भौतिक तथ्य को जानबूझकर छिपाकर, जिसे वह प्रकट करने के लिए बाध्य है, स्वेच्छा से किसी काम को करने का कारण बनता है या प्राप्त करता है, या करने या प्राप्त करने का प्रयास करता है, कहा जाता है कि वह उस काम को करने के लिए उकसाता है।
चित्रण ए, एक सार्वजनिक अधिकारी, न्याय न्यायालय के वारंट द्वारा जेड, बी को पकड़ने के लिए अधिकृत है, यह जानते हुए कि तथ्य और यह भी कि सी जेड नहीं है, जानबूझकर ए को दर्शाता है कि सी जेड है, और इस तरह जानबूझकर ए को सी को पकड़ने के लिए प्रेरित करता है।

सी की आशंका।
स्पष्टीकरण 2. — कहा जाता है कि जो कोई भी, किसी अधिनियम के लागू होने से पहले या उसके समय, उस अधिनियम के लागू होने को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ भी करता है और इस तरह उसके लागू होने को सुविधाजनक बनाता है, वह उस अधिनियम को करने में सहायता करता है।

47. धारा 107 के पहले खंड में उकसावे को किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्य के लिए उकसाने के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा खंड इसे एक या अधिक अन्य के साथ साजिश में शामिल होने के संदर्भ में परिभाषित करता है।

किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति, और षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य या अवैध चूक। तीसरे खंड के तहत, उकसाने का आधार जानबूझकर किसी कार्य या चूक से किसी कार्य को करने में सहायता करना है। इन प्रावधानों का अर्थ विशेष रूप से धारा के संदर्भ में लगाया गया है।

17 306. आत्महत्या के लिए उकसाना। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो जो कोई भी इस तरह की आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, उसे दस साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

306 जिसे एफ. आई. आर. की सामग्री का आकलन करने के लिए कानूनी आधार प्रदान करने के लिए एक संदर्भ आवश्यक है। इन प्रावधानों का अर्थ इस न्यायालय के पहले के फैसलों में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम ओरिलाल जयसवाल 1 8, रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1 में लगाया गया है।

9

किशोरी लाल बनाम एमपी राज्य 2 0 20 ("किशोरी लाल") और किशनगिरी मंगलगिरी गोस्वामी बनाम गुजरात राज्य 2 1। अमलेंदु पाल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 22 में, न्यायमूर्ति मुकुंदकम शर्मा ने इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ की ओर से बोलते हुए और पहले के फैसलों को स्वीकार करते हुए कहाः

" 12 ..... यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि कथित मामलों में

आत्महत्या के लिए उकसाना। केवल आरोप पर निकटवर्ती कोई सकारात्मक कार्रवाई किए बिना उत्पीड़न का

अभियुक्त की ओर से घटना के समय तक जिसके कारण या

व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, के संदर्भ में दोषसिद्धि आई. पी. सी. की धारा306 टिकाऊ नहीं है।

न्यायालय ने नोट किया कि इससे पहले किसी व्यक्ति को उकसाया गया कहा जा सकता है

आत्महत्या के कार्य में, उन्होंने "उकसाने के कार्य द्वारा या कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी।

आत्महत्या "। जैसा कि इस न्यायालय ने किशोरी लाल (उपरोक्त) में कहा था, "उकसाने का शाब्दिक अर्थ है कुछ भी करने के लिए उकसाना, उकसाना, आग्रह करना या अनुनय द्वारा लाना"। एस. एस. छीना बनाम विजय कुमार महाजन 2 3 में, दो न्यायाधीश इस न्यायालय की पीठ ने न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी के माध्यम से बोलते हुए कहाः

" 25. प्रोत्साहन में किसी व्यक्ति को उकसाने की एक मानसिक प्रक्रिया शामिल होती है या किसी कार्य को करने में जानबूझकर किसी व्यक्ति की सहायता करना। सकारात्मक के बिना

अभियुक्त की ओर से उकसाने या अपराध करने में सहायता करने के लिए कार्य करना आत्महत्या, दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। की मंशा

विधायिका और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों का अनुपात स्पष्ट है।

कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए

कोई विकल्प नहीं देख रहा है और उस अधिनियम को आगे बढ़ाने का इरादा होना चाहिए ऐसी स्थिति में मृत्यु हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली।

19 (2004) 13 एस. सी. सी 129

20 (2007) 10 एस. सी. सी. 797

21 (2009) 4 एससीसी 52

22 (2010) 1 एससीसी 707

23 (2010) 12 एस. सी. सी. 190 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। राज्य

महाराष्ट्र [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

48. मदन मोहन सिंह बनाम गुजरात राज्य 24 विशेष रूप से था

एक मामला जो सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत एक याचिका के संदर्भ में उत्पन्न हुआ था जहां उच्च न्यायालय ने एक याचिका को रद्द करने के लिए याचिका को खारिज कर दिया था।

आई. पी. सी. की धारा 376 और 294 (बी) के तहत अपराधों के लिए एफ. आई. आर. दर्ज की गई है। उस मामले में मृतक के पति की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो आरोपी के साथ चालक के रूप में काम कर रहा था। चालक को नियोक्ता ने फटकार लगाई थी और बाद में आत्महत्या करने पर उसे मृत पाया गया था। एफ. आई. आर. में एक सुसाइड नोट पर भरोसा किया गया था, जिसकी सामग्री से संकेत मिलता है कि चालक को एक निश्चित वाहन नहीं दिया गया था। अन्य चालकों के विपरीत, जिसके अलावा उन्हें अपने वेतन से 15 दिनों के वेतन की कटौती सहित अन्य शिकायतें थीं। सुसाइड नोट में आरोपी का नाम था-अपीलार्थी। न्यायमूर्ति वी. एस. सिरपुरकर द्वारा दिए गए इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में, भजन लाल (उपरोक्त) में निर्धारित परीक्षण लागू किया गया था और न्यायालय ने कहाः

" 10. हम आश्वस्त हैं कि इस सुसाइड नोट या एफ़. आई. आर. में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दूर से भी आत्महत्या के रूप में देखा जाए। आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध बहुत कम है। हम नहीं ढूँढ सके

एफ. आई. आर. या तथाकथित सुसाइड नोट में कुछ भी जिसे आत्महत्या के लिए उकसाने के रूप में सुझाया जा सकता है। ऐसे मामलों में यह आरोप होना चाहिए कि आरोपी ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था या दूसरा, किसी अन्य व्यक्ति के साथ साजिश में शामिल था और अंत में, कि आरोपी ने किसी भी तरह से मदद की थी

आत्महत्या करने के लिए कोई कार्य या अवैध चूक।

11. हमारे सर्वोत्तम प्रयासों और सुसाइड नोट और एफ. आई. आर. की सूक्ष्म जांच के बावजूद, हम केवल इतना पाते हैं कि सुसाइड नोट विभागीय शिकायत की प्रकृति का एक बयानबाजी दस्तावेज है। यह मृतक की ओर से कुछ मानसिक असंतुलन का भी सुझाव देता है जिसे वह स्वयं अवसाद के रूप में वर्णित करता है। तथाकथित सुसाइड नोट में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने कभी भी इरादा किया था कि उसके अधीन चालक को आत्महत्या कर लेनी चाहिए या अपना जीवन समाप्त कर लेना चाहिए और उस दिशा में कुछ भी किया। भले ही यह स्वीकार किया जाए कि आरोपी ने चालक का कर्तव्य बदल दिया है या आरोपी ने उसे कार की चाबी नहीं लेने और कार की चाबी कार्यालय में ही रखने के लिए कहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आरोपी का इरादा था या वह जानता था

कि ड्राइवर को इस वजह से आत्महत्या कर लेनी चाहिए।

आई. पी. सी. की धारा 376 के प्रावधानों और धारा 107 के अर्थ के भीतर उकसाने के अर्थ पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 12. व्यक्ति की आत्महत्या करने के इरादे से आरोपी की ओर से आई. पी. सी. की धारा 106 के तहत अपराध को सामने लाने के लिए, जैसा कि आई. पी. सी. की धारा 107 द्वारा अनुध्यात किया गया है।

उस उकसावे के परिणामस्वरूप चिंतित होना आवश्यक है। आई. पी. सी. की धारा306 के तहत इस विशेष अपराध के लिए मृतक की सहायता करने या उसे आत्महत्या के लिए उकसाने या उकसाने का आरोपी का इरादा आवश्यक है। हमारी स्पष्ट राय है कि आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के लिए कोई सामग्री होने का कोई सवाल ही नहीं है।

एफ. आई. आर. में या तथाकथित सुसाइड नोट में "।

अदालत ने कहा कि सुसाइड नोट में पीड़ा की स्थिति व्यक्त की गई है

और "अभियुक्त की ओर से जानबूझकर कुछ भी व्यक्त करने के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता है कि मृतक आत्महत्या कर सकता है"। उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए, धारा 482 के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया गया और प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया। 49. कॉमन में संविधान पीठ के फैसले में हम में से एक (धनंजय वाई चंद्रचूड़ जे) द्वारा दिए गए एक सहमति वाले फैसले में

कारण (ऊपर), धारा 107 के प्रावधानों को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ समझाया गया थाः

" 458. अपराध को बढ़ावा देने के लिए, उकसाने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध करने में सहायता की होगी। उकसाने के लिए किसी अपराध को करने के लिए उकसाने या जानबूझकर सहायता करने की आवश्यकता होती है। यह एक आचरण या कार्रवाई का अनुमान लगाता है जो (वर्तमान चर्चा के संदर्भ में) दूसरे को जीवन समाप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। अतः आत्महत्या के लिए उकसाना एक स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध है।

आई. पी. सी. की धारा 305 और आई. पी. सी. की धारा 305।

50. हाल ही में एम अर्जुनन बनाम राज्य (पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व) 2 में, इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ बोल रही है।

न्यायमूर्ति R.Banumathi के माध्यम से, निम्नलिखित टिप्पणियों में आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कियाः

" 7. धारा306 के तहत अपराध के आवश्यक तत्व

आई. पी. सी. हैंः ((i) उकसाना; (ii) मृतक को आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने या उकसाने का अभियुक्त का इरादा। हालाँकि, अभियुक्त का अपमानजनक भाषा का उपयोग करके मृतक का अपमान करना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं होगा। यह सुझाव देने में सक्षम सबूत होना चाहिए कि अभियुक्त का इरादा था

25 (2019) 3 एस. सी. सी. 325 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। राज्य HARASTRA [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाने के लिए ऐसा कार्य। जब तक आत्महत्या करने के लिए उकसाने/उकसाने के तत्व संतुष्ट न हों

अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "

51. इसी तरह, उडे सिंह मामले में इस अदालत के एक अन्य हालिया फैसले में

आई. पी. सी. की धारा306 के आहार और इनमें विचार किए जाने वाले कारकखनन करना कि क्या कोई मामला उपरोक्त प्रावधान के अंतर्गत आता है,

निम्नलिखित शर्तें -

" 38. आत्महत्या के कथित उकसावे के मामलों में, आत्महत्या के लिए उकसाने के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्यों का प्रमाण होना चाहिए। इस बात पर शायद ही कोई विवाद हो कि आत्महत्या के कारण का सवाल, विशेष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के संदर्भ में, एक परेशान करने वाला सवाल बना हुआ है, जिसमें मानव व्यवहार और प्रतिक्रियाओं/प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी और जटिल गुण शामिल हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप के मामले में, न्यायालय को उकसाने के कार्य/कृत्यों के ठोस और विश्वसनीय सबूत की तलाश होगी। आत्महत्या का कार्य। आत्महत्या के मामले में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृतक के उत्पीड़न का केवल आरोप तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक कि आरोपी की ओर से ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है जो व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है और ऐसी अपमानजनक कार्रवाई घटना के समय के निकट होनी चाहिए। किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाया है या नहीं, यह केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है।

39. यह पता लगाने के उद्देश्य से कि क्या किसी व्यक्ति ने उकसाया है

यदि अभियुक्त आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य का दोषी है तो दूसरे द्वारा आत्महत्या करने पर विचार किया जाएगा। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में समझाया और दोहराया गया है, उकसाने का अर्थ है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना, आगे बढ़ने का आग्रह करना, उकसाना, उकसाना या प्रोत्साहित करना। अगर आत्महत्या करने वाले लोग यदि अति संवेदनशील होता और अभियुक्त की कार्रवाई से सामान्य रूप से किसी समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की उम्मीद नहीं की जाती है, तो अभियुक्त को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन, दूसरी ओर, अगर आरोपी अपने कृत्यों और अपने निरंतर आचरण से एक स्थिति पैदा करता है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जिसके कारण मृतक को इसके अलावा कोई अन्य विकल्प समझ में नहीं आता है आत्महत्या करने पर मामला आई. पी. सी. की धारा306 के चार कोणों में आ सकता है। यदि अभियुक्त पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मसम्मान को धूमिल करने में सक्रिय भूमिका निभाता है, जो अंततः पीड़ित को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तो अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है।

आत्महत्या के लिए उकसाना। ऐसे मामलों में अभियुक्त की ओर से पुरुष अधिकार के प्रश्न की जांच इस संदर्भ में की जाएगी -

अभियुक्त के वास्तविक कार्य और कर्म और यदि कार्य और कर्म केवल ऐसी प्रकृति के हैं जहां अभियुक्त का इससे अधिक कुछ भी इरादा नहीं है उत्पीड़न या अचानक क्रोध के प्रदर्शन की तुलना में, एक विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध से कम हो सकता है। हालाँकि, यदि आरोपी मृतक को शब्दों या कार्यों से परेशान या परेशान करता रहा जब तक कि मृतक ने प्रतिक्रिया नहीं दी या उसे उकसाया गया, तो कोई विशेष मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का हो सकता है। ऐसी नाजुक बात है

मानव व्यवहार का विश्लेषण, प्रत्येक मामले की जांच उसके अपने तथ्यों पर की जानी चाहिए, जबकि आरोपी और मृतक के कार्यों और मानसिकता पर असर डालने वाले सभी आसपास के कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

इसी तरह, राजेश बनाम हरियाणा राज्य 2 7 मामले में, न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव के माध्यम से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 9. आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत उत्पीड़न के आरोप पर दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है, जब तक कि आरोपी की ओर से घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई हो, जिसके कारण व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो। किसी मामले को आई. पी. सी. की धारा306 के दायरे में लाने के लिए, आत्महत्या का मामला होना चाहिए और उक्त अपराध के करने में, जिस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाने के कार्य या आत्महत्या को सुविधाजनक बनाने के लिए कुछ कार्य करके सक्रिय भूमिका निभाई होगी। इसलिए, उक्त अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति द्वारा उकसाने के कार्य को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित और स्थापित किया जाना चाहिए, इससे पहले कि उसे आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया जा सके।

इस न्यायालय के एक हालिया निर्णय में गुरचरण सिंह बनाम राज्य 2 8 28 में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति इकेश राय के माध्यम से बोलते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

2019 की इनल अपील संख्या 93 का निर्णय 18 जनवरी 2019 को लिया गया 2011 की इनल अपील संख्या 40 का निर्णय 1 अक्टूबर 2020 को लिया गया अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम।

महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

" 15. जैसा कि सभी अपराधों में होता है, पुरुषों का अधिकार स्थापित किया जाना चाहिए। आई. पी. सी. की धारा 107 के तहत निर्दिष्ट उकसाने के अपराध को साबित करने के लिए, दोषसिद्धि का निर्धारण करने के लिए किसी विशेष अपराध को करने की मानसिक स्थिति दिखाई देनी चाहिए। मेन्स रिया को साबित करने के लिए, वहाँ होना चाहिए

यह स्थापित करने या दिखाने के लिए कि अपीलार्थी का मन दोषी था और मन की उस स्थिति को आगे बढ़ाते हुए उसने मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाया था, अभिलेख में कुछ होना चाहिए।

52. वैजनाथ कोंडीबा खांडके बनाम महाराष्ट्र राज्य

और इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति यू. यू. ललित के माध्यम से बोलते हुए एक आवेदन की अस्वीकृति के खिलाफ अपील पर विचार किया आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और 506 के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए, सी. आर. पी. सी. की धारा 482 के तहत। सेवा करने वाला व्यक्ति

शिक्षा उप निदेशक के कार्यालय में औरंगाबाद ने 8 अगस्त 2017 को आत्महत्या कर ली थी। उसकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत की कि उसका पति मानसिक यातना से पीड़ित था क्योंकि उसके वरिष्ठ अधिकारी उसके पति से भारी काम करवा रहे थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक और यहां तक कि विषम समय और छुट्टियों पर भी काम करना पड़ा। अपीलार्थी के खिलाफ विशिष्ट आरोप यह था कि उसने मृतक का वेतन एक महीने के लिए रोक दिया था और मृतक को धमकी दे रहा था कि उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। इस अदालत ने नोट किया कि कोई सुसाइड नोट नहीं था, और रिकॉर्ड पर एकमात्र सामग्री मृतक की पत्नी द्वारा अपनी रिपोर्ट में किए गए दावों के रूप में थी

53. दूसरी ओर, हमें प्रवीण प्रधान (उपरोक्त) के फैसले पर भी ध्यान देना चाहिए, जहां इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने न्यायमूर्ति बी. एस. चौहान के माध्यम से बोलते हुए एक याचिका की अस्वीकृति के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आवेदन, आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत एक अपराध को निहित करता है। मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट से पता चलता है, जैसा कि इस अदालत ने कहा, कि "अपीलकर्ता ने मृतक को लगातार अपमानित, शोषण और हतोत्साहित किया, जो कार्यस्थल पर गलत प्रथाओं में लिप्त होने के लिए मजबूर था, जिससे उसके आत्म-सम्मान को भारी चोट पहुंची।

अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता हमेशा मृतक को डांटता था और हमेशा मृतक को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता था। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने कहाः

" 19. इस प्रकार, उपरोक्त तय किए गए कानूनी प्रस्तावों के आलोक में मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। तत्काल मामले में, आरोप लगाया

उत्पीड़न एक आकस्मिक विशेषता नहीं थी, बल्कि लगातार उत्पीड़न का मामला बना रहा। यह एक चालक का मामला नहीं है; या एक विवाहित महिला के साथ एक पुरुष के अवैध संबंध होने का मामला नहीं है, यह जानते हुए कि उसका भी एक और प्रेमी था; और इसलिए, तत्काल मामले में मृतक की स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती है, जो एक महिला थी।

योग्य स्नातक इंजीनियर और फिर भी लगातार उत्पीड़न और अपमान का सामना करना पड़ा और इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी द्वारा की गई निरंतर अवैध मांगों को भी सहन करना पड़ा, जिसे पूरा न करने पर, उसे अपीलार्थी द्वारा लंबे समय तक निर्दयता से परेशान किया जाएगा।

समय की अवधि। उन्हें कारखाने में लंबे समय तक लगातार काम करने के लिए भी मजबूर किया गया था, अन्य कर्मचारियों की तुलना में जो अक्सर 16-17 घंटों में भी प्रवेश करते थे। इस तरह का उत्पीड़न, शब्दों के उच्चारण के साथ, कि, "अगर उसके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति होता, तो वह निश्चित रूप से करता।

उच्च न्यायालय का आदेश [2006 का आपराधिक विविध आवेदन संख्या 420,5-1-2012 (उत्तर) पर निर्णय लिया गया।] अतः अपील यह है कि - तदनुसार खारिज कर दिया गया। "

अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए शब्दों के साथ जो आयोग का कारण बना आत्महत्या।

54. नारायण मल्हारी थोराट बनाम विनायक देवराव भगत 3 0 में, इस न्यायालय ने न्यायमूर्ति यू. यू. ललित के माध्यम से बोलते हुए,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ जिसने आपराधिक मामले को रद्द कर दिया था

धारा 482 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए कार्यवाही। यह एक ऐसा मामला था जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई थी

अपीलार्थी से। एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि पुत्र और पुत्रवधू

30 (2019) 13 एस. सी. सी. 598 अर्नब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपीलार्थी जिला परिषद विद्यालय में शिक्षक थे। प्रत्यर्थी अपीलार्थी की बहू को फोन पर बुलाता था और उसे परेशान करता था। इसके अलावा, अपीलार्थी के बेटे के प्रयासों के बावजूद, प्रत्यर्थी ऐसा करने से पीछे नहीं हटे। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 12. अब हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हैं। इस बात के निश्चित आरोप हैं कि पहला प्रतिवादी पीड़िता की पत्नी को उसके मोबाइल पर फोन करता रहता और उसे परेशान करता रहता, जो आरोप मां और मां के बयानों से समर्थित हैं।

पीड़ित की पत्नी ने जाँच के दौरान दर्ज किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आत्महत्या से तीन-चार दिन पहले पीड़ित और पहले प्रतिवादी के बीच झगड़ा हुआ था। इन तथ्यों के आलोक में, इस तथ्य के साथ कि सुसाइड नोट में प्रथम प्रतिवादी के खिलाफ निश्चित आरोप लगाए गए थे, उच्च न्यायालय इस सवाल में प्रवेश करना उचित नहीं था कि क्या प्रथम प्रतिवादी का आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने या उकसाने का अपेक्षित इरादा था। इस मोड़ पर जब जांच पूरी नहीं हुई थी और आरोप पत्र, यदि कोई हो, दायर किया जाना बाकी था, उच्च न्यायालय को इस पहलू में नहीं जाना चाहिए था कि क्या आवश्यक मानसिक तत्व था या नहीं।

प्रत्यर्थी का इरादा "।

प्रतिवादी ने सक्रिय रूप से आत्महत्या करने में सहायता की थी पीड़ित के जीवनसाथी को लगातार परेशान करना और पीड़ित के प्रयासों के बावजूद उसके आचरण को सुधारने में विफल रहना।

55. अब इस पृष्ठभूमि में, वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. की सामग्री के बारे में संक्षेप में विज्ञापन देना आवश्यक हो जाता है। एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि

सूचना देने वाले के पति या पत्नी के पास व्यवसाय करने वाली एक कंपनी थी

वास्तुकला, इंटीरियर डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श। मुखबिर के अनुसार, उसका पति पिछले दो वर्षों से "दबाव में था क्योंकि उसे उसके द्वारा किए गए काम का पैसा नहीं मिला था"।

एफ़. आई. आर. में कहा गया है कि मृतक ने अपीलार्थी के कार्यालय में फोन किया था और पैसे के भुगतान के लिए अपने लेखाकार से बात की थी। उपरोक्त बयानों के अलावा, यह कहा गया है कि मृतक एक सुसाइड नोट छोड़ गया है जिसमें कहा गया है कि उसका "पैसा अटक गया है और संबंधित कंपनियों के मालिक हमारे वैध बकाया का भुगतान नहीं कर रहे हैं"। प्रथम दृष्टया, परीक्षण के आवेदन पर जो इस न्यायालय द्वारा प्राधिकरण की एक सुसंगत पंक्ति में निर्धारित किया गया है, जिसे ऊपर उल्लेख किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी [2020] 11 एस. सी. आर. के भीतर आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी था।

आई. पी. सी. की धारा306 का अर्थ। ये टिप्पणियां, हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस स्तर पर प्रथम दृष्टया हैं क्योंकि उच्च न्यायालय ने अभी भी याचिका को रद्द करने के लिए सुनवाई करनी है। हालांकि, स्पष्ट रूप से, उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी की सामग्री पर ध्यान देने में विफल रहने और प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को जब्त करने पर अपनी भूमिका, कार्यों और अधिकार क्षेत्र का त्याग कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस कानूनी स्थिति को दोहराया कि धारा 482 के तहत रद्द करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। हालाँकि, ये शब्द अर्थहीन मंत्र नहीं हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष विशेष एफ. आई. आर. की सामग्री के संदर्भ में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि उच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करता, तो उसके लिए यह असंभव होता कि वह प्राथमिकी और आई. पी. सी. की धारा306 के प्रावधानों के बीच अंतर पर ध्यान न देता। ऐसा करने में उच्च न्यायालय की विफलता ने उसे एक ऐसी स्थिति अपनाने के लिए प्रेरित किया है जहां उसने अपीलार्थी को धारा 439 के तहत नियमित जमानत के लिए अपने उपायों को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ दिया है। द.

उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से उस कर्तव्य का पालन करने में विफल रहा जो धारा 482 के तहत एक याचिका का मूल्यांकन करते समय उसे सौंपा गया है, हालांकि अंतरिम स्तर पर। 56. उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर की गई थी। निपटते समय

एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए धारा 482 के तहत याचिका, उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया है कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध के तत्वों को एफ. आई. आर. में बनाया गया है। यदि उच्च न्यायालय ने इस कवायद को अंजाम दिया होता, तो (जैसा कि हमने इस फैसले में माना है) यह स्पष्ट होता कि अपराध के तत्व प्रथम दृष्टया स्थापित नहीं हुए हैं। धारा के तहत अपने कार्य को करने में विफलता के परिणामस्वरूप 482 , उच्च न्यायालय ने जमानत के लिए अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से खुद को अक्षम कर दिया है। अनुच्छेद 226 के तहत इस तरह के आवेदन पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय को प्रत्येक के तथ्यों के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए।

मामला। हालाँकि, उच्च न्यायालय को उस शक्ति के प्रयोग से खुद को रोक नहीं लेना चाहिए जब किसी नागरिक को राज्य की शक्ति से अधिक अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित कर दिया गया हो। 57. एक उपयुक्त मामले में अनुच्छेद 226 के तहत जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, उच्च न्यायालय को इस न्यायालय के उदाहरणों से उभरने वाले तय किए गए कारकों पर विचार करना चाहिए। इन कारकों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

कथित अपराध की प्रकृति, आरोप की प्रकृति

((i)

और दोषसिद्धि के मामले में सजा की गंभीरता; अर्णब मनमोहन गोस्वामी बनाम।

((ii) क्या अभियुक्त द्वारा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने या उन्हें धमकी देने की उचित आशंका है।

शिकायतकर्ता या गवाह;

((ग) मुकदमे में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की संभावना या अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना;

((iv) पूर्ववृत्त और परिस्थितियाँ जो विशिष्ट हैं -

अभियुक्त;

(v) क्या प्रथम दृष्टया एफ. आई. आर. में आरोपों के आधार पर अपराध के तत्व बनाए गए हैं;

और

(vi) जनता या राज्य और अन्य लोगों के महत्वपूर्ण हित।

समान विचार।

58. ये सिद्धांत समय के साथ विकसित हुए हैं और निम्नलिखित (अन्य) निर्णयों से उत्पन्न हुए हैं: प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम

एन. सी. टी., दिल्ली 3 1; राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह 3 2; उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी 3 3 3; प्रशांत कुमार सरकार बनाम आशीष चटर्जी 3 4; संजय चंद्र बनाम सी. बी. आई. 3 5 35; और पी. चिदंबरम बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 3 6।

59. ये सिद्धांत प्रयोग के लिए समान रूप से लागू होते हैं

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र जब अदालत को अभियुक्त की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए कहा जाता है। उच्च न्यायालय को सावधानी और सावधानी के साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्राधिकार जमानत के उपाय के लिए एक तैयार विकल्प नहीं है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत। इन सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, यह

मामले में एफ. आई. आर. की सामग्री की जांच करना आवश्यक हो गया है। मामलों के इस समूह में, एफ. आई. आर. का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन आई. पी. सी. की धारा 376 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के तत्वों को स्थापित नहीं करता है। अपीलार्थी भारत के निवासी हैं और जाँच या परीक्षण के दौरान उनके भागने का कोई जोखिम नहीं है। वहाँ कोई नहीं है

साक्ष्य या गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका। इन कारकों को लेते हुए

32 (2002) 3 एस. सी. सी. 598

35 (2012) 1 एससीसी 40 36 2019 की आपराधिक अपील संख्या 1605 का निर्णय 22 अक्टूबर 2019 [2020] 11 एस. सी. आर.

विचार में, 11 नवंबर 2020 के आदेश में अपीलार्थियों को जमानत पर रिहा करने की परिकल्पना की गई थी।

जे. मानव स्वतंत्रता और न्यायालयों की भूमिका

60. मानव स्वतंत्रता एक बहुमूल्य संवैधानिक मूल्य है, जो निस्संदेह वैध रूप से अधिनियमित विधान द्वारा विनियमन के अधीन है। इस प्रकार, नागरिक आपराधिक कानून और प्रक्रिया के आदेशों के अधीन है। धारा 482 ऐसे आदेश देने के लिए उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता देती है जो दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को प्रभावी बनाने या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक हैं। इस न्यायालय के निर्णयों के लिए उच्च न्यायालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे धारा 482 के तहत उन्हें सौंपी गई अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सावधानीपूर्वक कार्य करें। इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय को संयम की भावना के साथ इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिए, इस न्यायालय के निर्णय इस मूल सिद्धांत पर आधारित हैं कि अभियुक्त द्वारा कृत्रिम और रणनीतियों का सहारा लेने से आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा नहीं आनी चाहिए। अपराध की उचित जांच सुनिश्चित करने में जनहित की रक्षा यह सुनिश्चित करके की जाती है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का सावधानी के साथ प्रयोग किया जाए। यह वास्तव में स्पेक्ट्रम का एक-और एक महत्वपूर्ण-अंत है। स्पेक्ट्रम का दूसरा छोर भी उतना ही महत्वपूर्ण हैः द.

प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए उच्च न्यायालय में विरासत में मिली शक्ति की धारा 482 द्वारा मान्यता स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मूल्यवान सुरक्षा है। 1898 की दंड प्रक्रिया संहिता एक विधानमंडल द्वारा अधिनियमित की गई थी जो संवैधानिक अधिकारों और सीमाओं के अधीन नहीं थी; फिर भी इसने धारा 561 ए में अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी। स्वतंत्रता के बाद, संसद द्वारा उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की मान्यता को उच्च न्यायालय के संरक्षण के लिए एक सहायता के रूप में माना जाना चाहिए। स्वतंत्रता का संवैधानिक मूल्य। स्वतंत्रता का लेखन संविधान के ताने-बाने के माध्यम से चलता है। अपराध की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता निस्संदेह अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक स्तर पर पीड़ित के अधिकारों की रक्षा करता है और अधिक मौलिक स्तर पर, यह सुनिश्चित करने में सामाजिक हित की रक्षा करता है कि अपराध की जांच की जाए और उससे कानून के अनुसार निपटा जाए। दूसरी ओर, आपराधिक कानून का दुरुपयोग एक ऐसा मामला है जिसके बारे में इस देश में उच्च न्यायालय और निचली अदालतों को जीवित रहना चाहिए। वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय उस विशिष्ट आधार का संज्ञान लिए बिना नहीं रह सकता था जो अपीलार्थी द्वारा उसके समक्ष उठाया गया था कि उसे अप्रैल 2020 से हो रही घटनाओं की एक श्रृंखला के हिस्से के रूप में निशाना बनाया जा रहा था। अपीलार्थी का विशिष्ट मामला है -

कि उन्हें निशाना बनाया गया है क्योंकि उनके टेलीविजन चैनल पर उनकी राय प्राधिकरण के लिए अप्रिय है। क्या अपीलार्थी ने एफ. आई. आर. को रद्द करने के लिए कोई मामला स्थापित किया है, यह कुछ ऐसा है जिस पर उच्च न्यायालय अपने समक्ष कार्यवाही सूचीबद्ध होने पर अंतिम विचार करेगा, लेकिन हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि एफ. आई. आर. का प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने में विफल रहने पर, उच्च न्यायालय ने अपने संवैधानिक कर्तव्य का त्याग कर दिया और स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में कार्य किया। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति सचेत रहना चाहिए कि आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन में बाधा न आए। अपराध की निष्पक्ष जांच इसके लिए सहायक है। समान रूप से यह सुनिश्चित करना सभी न्यायालयों-जिला न्यायपालिका, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि आपराधिक कानून नागरिकों के चुनिंदा उत्पीड़न के लिए एक हथियार न बने। न्यायालयों को स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों के लिए जीवित होना चाहिए-एक ओर आपराधिक कानून के उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता और दूसरी ओर, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून लक्षित उत्पीड़न के लिए एक चाल न बने। मानव युगों में स्वतंत्रता उतनी ही कमजोर है जितनी कि कमजोर हो सकती है। स्वतंत्रता अपने नागरिकों की सतर्कता, मीडिया के शोरगुल और अदालतों के धूल भरे गलियारों में कानून के शासन (और न कि) के लिए जीवित रहती है। फिर भी, बहुत बार, स्वतंत्रता एक दुर्घटना होती है जब इनमें से किसी एक घटक की कमी पाई जाती है।

61. श्री कपिल सिब्बल, श्री अमित देसाई और श्री चंदर उदय सिंह का कहना निस्संदेह सही है कि जमानत देने से संबंधित मामलों में अदालतों के प्रक्रियात्मक पदानुक्रम का सम्मान करने की आवश्यकता है। हालांकि, उच्च न्यायालय दो स्तरों पर अपने न्यायिक कार्य का निर्वहन करने में विफल रहा-पहला प्राथमिकी को रद्द करने के लिए एक याचिका में अंतरिम चरण में प्रथम दृष्टया मूल्यांकन करने से इनकार करना कि क्या यह एक तर्कपूर्ण मामला है।

बाहर किया गया है, और दूसरा, अंतरिम जमानत को अस्वीकार करने में, एक परिणाम के रूप में

पहले पर प्रथम दृष्टया राय देने में इसकी विफलता। उच्च न्यायालय के पास अनुच्छेद 226 को लागू करने वाली याचिका में एक अंतरिम आदेश द्वारा नागरिक की रक्षा करने की शक्ति थी। जहां उच्च न्यायालय ऐसा करने में विफल रहा है, यह न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका और कार्यों को त्याग देगा यदि वह इस तरह के हस्तक्षेप के मानदंडों को पूरा करने के बावजूद हस्तक्षेप करने से इनकार करता है। इस न्यायालय के दरवाजे एक ऐसे नागरिक के लिए बंद नहीं किए जा सकते हैं जो प्रथम दृष्टया यह स्थापित करने में सक्षम है कि आपराधिक कानून के बल का उपयोग करने के लिए राज्य की साधनता को हथियार बनाया जा रहा है। हमारी अदालतों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बनी रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रहना एक दिन बहुत अधिक है। हमें अपने निर्णयों के गहरे प्रणालीगत प्रभावों के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

62. हममें से किसी एक (धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.) द्वारा असहमतिपूर्ण राय में की गई टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित होगा।

रोमिला थापर बनाम भारत संघ मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय 3 8:

" [टी] प्रत्येक नागरिक की बुनियादी पात्रता जिसका सामना करना पड़ रहा है

आपराधिक गलत कार्य के आरोप, यह है कि जांच प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी के खिलाफ और जीवन और व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी का एक अभिन्न अंग है।

जिन सिद्धांतों को हमने तैयार किया है, हम एक भावपूर्ण घटना देख सकते हैं स्वतंत्रता की माँग "।

यह निर्णय मामले के तथ्यों में एक असहमति थी। प्रमुख बहुमत निर्णय का दृष्टिकोण निस्संदेह अदालत का दृष्टिकोण है, जो हमें बांधता है। हालाँकि, ऊपर उद्धृत सिद्धांत इस न्यायालय के उदाहरणों के अनुरूप है।

63. चार दशक से भी पहले, राजस्थान राज्य, जयपुर बनाम बालचंद 39 में एक प्रसिद्ध फैसले में, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने पीठ थपथपाई थी

हमें याद दिलाया कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का मूल नियम 'जमानत, जेल नहीं' है। भारत के जिला न्यायपालिका में उच्च न्यायालयों और न्यायालयों को व्यवहार में इस सिद्धांत को लागू करना चाहिए, और उस कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए, इस न्यायालय को हर समय हस्तक्षेप करने के लिए छोड़ देना चाहिए। हमें विशेष रूप से जिला न्यायपालिका की भूमिका पर भी जोर देना चाहिए, जो नागरिकों को संवाद का पहला बिंदु प्रदान करती है। हमारी जिला न्यायपालिका को गलत तरीके से 'अधीनस्थ न्यायपालिका' कहा जाता है। यह पदानुक्रम में अधीनस्थ हो सकता है लेकिन इसमें अधीनस्थ नहीं है।

नागरिकों के जीवन में या उन्हें न्याय प्रदान करने के कर्तव्य के संदर्भ में इसके महत्व के संदर्भ में। उच्च न्यायालयों पर बोझ तब पड़ता है जब पहली बार की अदालतें योग्य मामलों में अग्रिम जमानत या जमानत देने से इनकार कर देती हैं। यह उच्चतम न्यायालय में भी जारी रहता है, जब उच्च न्यायालय कानून के मानदंडों के भीतर आने वाले मामलों में जमानत या अग्रिम जमानत नहीं देते हैं। जो लोग कारावास से पीड़ित हैं, उनके लिए परिणाम गंभीर हैं। उच्च न्यायालयों या इस न्यायालय में जाने के लिए साधनों या संसाधनों के बिना आम नागरिक विचाराधीन कैदियों के रूप में सुस्त हैं। अदालतों को उस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए जो जमीनी स्तर पर है-जेलों और पुलिस थानों में जहां लोग रहते हैं।

(2018) 10 एस. सी. सी. 753

38

(1977) 4 एस. सी. सी. 308

39 40

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के ये शब्द हमारे न्यायशास्त्र में अलग-थलग नहीं हैं।

लेकिन दशकों से इस न्यायालय के फैसलों में लगातार पालन किया जा रहा है। इनमें से कुछ निर्णय इस प्रकार हैंः उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अमरमणि त्रिपाठी, (2005) 8 एस. सी. सी. 21 और संजय चंद्र बनाम सी. बी. आई., (2012) 1 एस. सी. सी. 40।

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। महाराष्ट्र राज्य [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

गरिमा का कोई रक्षक नहीं होता है। न्यायाधीशों के रूप में, हमें खुद को याद दिलाना चाहिए यह जमानत के साधन के माध्यम से है कि निर्दोषता की धारणा को बनाए रखने में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का प्राथमिक हित अपनी सबसे वाक्पटु अभिव्यक्ति पाता है। जमानत का उपाय "न्याय प्रणाली की मानवता की गंभीर अभिव्यक्ति" है। चूंकि हम सभी नागरिकों की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी के साथ हैं, इसलिए हम एक ऐसे दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर सकते हैं जो इस मूल नियम को उल्टे रूप में लागू करने का परिणाम हो। हमने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया है

मामला जहाँ एक नागरिक ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हमने ऐसा उन सिद्धांतों को दोहराने के लिए किया है जो अनगिनत अन्य चेहरों को नियंत्रित करते हैं जिनकी आवाज अनसुनी नहीं होनी चाहिए।

64. हम इस अवसर का उपयोग रिकॉर्ड पर रखने के लिए भी करना चाहेंगे।

पूरे भारत में उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वर्तमान में लंबित जमानत आवेदनों की संख्या पर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड ("एन. जे. डी. जी".) से प्राप्त डेटाः

उच्च न्यायालयों में विचाराधीनता

91

,568421 2

आपराधिक मामले (लिखित याचिकाएं, मामला/याचिकाएं, अपील, 12,66,133 संशोधन और अनुप्रयोग)

जिला न्यायालयों में विचाराधीनता

जमानत आवेदन

1,

96,861

65. एन. जे. डी. जी. पर डेटा सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है। एन. जे. डी. जी. सभी उच्च न्यायालयों के लिए आपराधिक मामलों सहित लंबित मामलों की निगरानी और निपटान के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। मुख्य न्यायाधीशों के लिए

उच्च न्यायालयों में, जो जानकारी उपलब्ध है, उसका उपयोग न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक मूल्यवान साधन के रूप में किया जा सकता है, विशेष रूप से स्वतंत्रता से संबंधित मामले। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपनी प्रशासनिक क्षमताओं में आई. सी. टी. उपकरणों का उपयोग करना चाहिए।

41

अर्घ्य सेनगुप्ता और ऋत्विका शर्मा, सहरश्री एंड द सुप्रीम्स ', (द वायर, 23 जून 2015) पर उपलब्ध <HTTPS: //तार। इन/इकोनॉमी/साराश्री-एंड-द

सर्वोच्च>

नौ उच्च न्यायालयों के लिए, लंबित जमानत के संबंध में कोई अलग डेटा उपलब्ध नहीं है

आवेदन, जिन्हें लंबित आवेदन सरलीकरणकर्ता के रूप में परिमापित किया जाता है। इसके अलावा, दो उच्च न्यायालयों के लिए, डेटा केवल उनकी प्रधान पीठ के लिए उपलब्ध है न कि उनकी सर्किट बेंच के लिए। अधिक दानेदार डेटा एन. जे. डी. जी. की वेबसाइट पर प्राप्त किया जा सकता है, जो <डब्ल्यू. डब्ल्यू. पर उपलब्ध है। एनजेडीजी। इकोर्स। गव. में>।

0] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने में उनका निपटान लोकतांत्रिक और समान रूप से आवंटित है। स्वतंत्रता कुछ लोगों के लिए कोई उपहार नहीं है। जिलों के प्रभारी प्रशासनिक न्यायाधीशों को भी इस सुविधा का उपयोग जिला न्यायपालिका के साथ जुड़ने और लंबित मामलों की निगरानी करने के लिए करना चाहिए। जैसा कि एन. जे. डी. जी. के आंकड़े स्पष्ट करते हैं, भारत में न्यायिक पदानुक्रम में अदालतों के लिए जमानत आवेदनों की सुनवाई नहीं होने और अभियान के साथ निपटारे की संस्थागत समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। हमारे देश की प्रत्येक अदालत को पहले हैमलिन व्याख्यान में लॉर्ड डेनिंग के शक्तिशाली आह्वान को याद रखना अच्छा होगा, जिसका शीर्षक था 'कानून के तहत स्वतंत्रता' 43:

" जब भी कोई न्यायाधीश बैठता है, तो एक आवेदन होता है जिसे लंबी परंपरा के अनुसार अन्य सभी पर प्राथमिकता दी जाती है। वकील ने

बस कहने के लिए है, मेरे प्रभु, मेरे पास एक आवेदन है जो

विषय की स्वतंत्रता से संबंधित है, और न्यायाधीश तुरंत करेगा

अन्य सभी मामलों को एक तरफ रख दें और इसे सुनें। .....

99

यह हमारी गंभीर आशा है कि हमारी अदालतें तीव्र जागरूकता का प्रदर्शन करेंगी।

स्वतंत्रता के पदचिह्न का विस्तार करने और जमानत देने से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए निर्णय लेने के मापदंड के रूप में अपने दृष्टिकोण का उपयोग करने की आवश्यकता के लिए।

66. चूंकि उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही लंबित है, इसलिए हम

सुरक्षा प्रदान की गई। समान रूप से, अवलोकन जो निहित हैं उच्च न्यायालय का विवादित आदेश भी अंतरिम चरण में था और उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों के अंतिम समाधान को प्रभावित नहीं करेगा।

के. निष्कर्ष

67. तर्कों के समापन पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए,

इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक जमानत पर तीनों अपीलार्थियों को रिहा करने का निर्देश दिया था। 11 नवंबर 2020 को निम्नलिखित परिचालन निर्देश जारी किए गए थेः

" 9 हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने गलती की थी अंतरिम जमानत देने के लिए आवेदनों को अस्वीकार करने में। हम.

तदनुसार आदेश दें और निर्देश दें कि अर्णब मनोरंजन गोस्वामी,

सर अल्फ्रेड डेनिंग, कानून के तहत स्वतंत्रता, हैमलिन व्याख्यान, पहली श्रृंखला, <HTTPS पर उपलब्ध हैः //सामाजिक विज्ञान। बाहर निकलें। एसी। यूके/मीडिया/यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर/स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज/लॉ/पीडीएफएस/फ्री डोम _ अंडर _ द _ लॉ _ 1। पीडीएफ।

अर्णब मनोरंजन गोस्वामी बनाम। राज्य HARASTRA [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

फिरोज मोहम्मद शेख और नितीश सारदा को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते उनमें से प्रत्येक एक व्यक्तिगत मुचलका निष्पादित करें।

50, 000 रुपये की राशि को जेल के सामने निष्पादित किया जाना है

अधीक्षक। हालाँकि, उन्हें जाँच में सहयोग करने का निर्देश दिया जाता है और वे चल रही जाँच या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे।

10 संबंधित जेल अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश का पालन किया जाए।

तुरंत।

11 इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति पाठ्यक्रम के दौरान जारी की जाएगी।

दिन का "।

68. 11 नवंबर 2020 के आदेश द्वारा उपरोक्त संस्करण को जो अंतरिम संरक्षण दिया गया है, वह उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के निपटारे तक और उसके बाद उच्च न्यायालय की स्थापना की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के लिए समाप्त होता रहेगा, यदि सभी या किसी के लिए कानून के अनुसार अपने उपायों का आगे सहारा लेना आवश्यक हो जाता है।

69. अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

70. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

ग्यान